सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

राजस्थान जैव-ईंधन नियम - 2019

बायोफ्यूल प्राधिकरण

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

राजस्थान जैव-ईंधन नियम - 2019

बायोफ्यूल प्राधिकरण

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

बायोफ्यूल प्राधिकरण

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

बायो–फ्यूल प्राधिकरण

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग

राजस्थान जैव-ईंधन नियम - 2019

अनुसूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	भाग–1 सामान्य	2–3
2	भाग–2 रतनजोत एवं समकक्ष तैलीय पौधों का पौधारोपण के नियम	4–8
3	भाग–3 रतनजोत एवं समकक्ष तैलीय पौधों से प्राप्त बीजों का संग्रहण एवं समर्थन मूल्य पर खरीद के नियम	9–12
4	भाग–4 न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण के नियम	13
5	भाग–5 जैव ईधन विनिमार्ताओं, आपूर्तिकर्ताओं एवं विक्रेताओं का पंजीकरण के नियम	16–31
6	भाग–6 बायोडीजल उत्पादन के लिये प्रयुक्त कुकिंग तेल एकत्रीकरण हेतु पंजीकरण के नियम	32–33
7	भाग–7 विविध	34
8	प्रपत्र 1, 2, 3अ, 3ब, 3स, 3द, एवं 4	35–48

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

बायो–फ्यूल प्राधिकरण

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग

क्रमांक : प6(83)ग्रावि / बीएफए / नियम / 2017 / 985 दिनांक 13.08.2019

राजस्थान जैव-ईंधन नियम - 2019

राज्य की पड़त एवं परिभ्राषित भूमि पर रतनजोत, करंज एवं तत्समान स्थानीय प्रजातियों के पौधारोपण, संवर्द्धन, बीज संग्रहण, समर्थन मूल्य पर खरीद एवं जैव ईधन प्रसंस्करण ईकाईयों की राज्य में स्थापना तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जैव ईधन के विपणन एव वितरण हेतु जारी राष्ट्रीय जैव ईधन नीति–2018 की गजट अधिसूचना क्रमांक पी–13032 (16) / 18 / 2017–सीसी दिनांक 04.06.2018 एवं जैव डीजल (बी–100) के उत्पादन, विपणन / वितरण एंव विक्रय के सम्बध में जारी गजट अधिसूचना क्रमांक पी–13039(18) / 1 / 2018–सीसी (पी–26825) दिनांक 30.04.2019 की अनुपालना में राजस्थान राज्य मे परिवहन प्रयोजन हेतु हाई स्पीड डीजल के साथ मिश्रण के लिये विनियमित करने के उद्वेश्य से सक्षम स्तर से अनुमोदन पश्चात राज्य सरकार द्वारा ''राजस्थान जैव ईधन नियम–2019'' एतद्द्वारा लागू किये जाते है।

राजस्थान जैव ईधन नियम–2019 के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है।

1 बायोफ्यूल पौधो के पौधा रोपण हेतु बी.पी.एल. परिवारो स्वंय सहायता समूह आदि को बंजर भूमि आवंटन के नियम ।

2 बायोफ्यूल पौधो से प्राप्त बीजो के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मुल्य पर संग्रहण एवं खरीद के नियम।

3 न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण के नियम।

4 राज्य में बायो डीजल की बिक्री हेतु बायोडीजल उत्पादको, आपूर्तिकर्ताओ एवं विक्रेताओं के पंजीकरण नियम।

5 बायोडीजल उत्पादन के लिये स्त्रोत के रुप में प्रयुक्त कुकिंग तेल (Used Cooking oil) एकत्रिकरण हेतु पंजीकरण नियम।

(राजेश्वर सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव,
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

भाग – 1
सामान्य

1.1 संक्षिप्त नाम, प्रसार एवं प्रारम्भ.–

(1) यह नियम ''राजस्थान जैव–ईंधन नियम, 2019'' कहलायेंगे।

(2) इनका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(3) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

1.2 परिभाषाऐं.–

(1) इन नियमों में जब तक कि विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हों:–

(क) कृषि सहकारी सोसायटी से भूमि हीन व्यक्तियों की राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 (2002 का अधिनियम सं. 16) के अधीन पंजीकृत सोसाइटी अभिप्रेत है;

(ख) जैव–ईंधन/जैव–डीजल (बी–100) से भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित नवीनतम मानकों एवं परिभाषा के अनुसार प्रसंस्कृत जैव–ईंधन/जैव–डीजल (बी–100) अभिप्रेत है;

(ग) जैव–ईंधन प्राधिकारी से बायोफ्यूल प्राधिकरण राजस्थान सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अभिप्रेत है;

(घ) जैव–ईंधन आधारित औद्योगिक और प्रसंस्करण इकाई से अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत ऐसे संकुलों या सम्पदाओं की स्थापना जिसमें जैव–ईंधन प्रसंस्करण औद्योगिक इकाइयां, परिष्करणियां, जैव–ईंधन के क्षेत्रों में संयुक्त उच्च प्रौद्योगिक परियोजनाएं, संकर बीज उत्पादन, ऊत्तक संवर्धन इत्यादि के माध्यम से सूक्ष्म संजनन और प्रशिक्षण सहित अनुसंधान और विकास क्रियाकलाप समाविष्ट हों;

(ङ) जैव–ईंधन रोपण के अन्तर्गत है जैव–ईंधन के उत्पादन के लिए रतनजोत, महुआ, करंज और अन्य समकक्ष अखाद्य तिलहन वनस्पति;

(च) कम्पनी से कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं.–1)/ कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम सं.–18) के अधीन पंजीकृत कम्पनी अभिप्रेत है;

(छ) जिला स्टेयरिंग कमेटी से अभिप्रेत है राजस्थान सरकार द्वारा गठित जिला स्तरीय स्टेयरिंग कमेटी;

(ज) प्रारूप से इन नियमों से संलग्न प्रारूप अभिप्रेत है;

(झ) सरकारी उपक्रम से सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन उपक्रम अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कम्पनियां और निगम भी हैं;

(ञ) ग्राम पंचायत से राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का राजस्थान अधिनियम सं.13) के अधीन गठित पंचायत अभिप्रेत है;

(ट) भूमिहीन व्यक्ति से राजस्थान का ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो या तो कोई वास्तविक कृषक है या कोई कृषि श्रमिक है और स्वयं खेती कर रहा है या जिसके द्वारा स्वयं खेती करना संभाव्य है और जिसकी जीविका का मुख्य स्रोत खेती या कोई ऐसी उपजीविका है या कृषि की समनुषंगी या अनुसेवी है, और ऐसा व्यक्ति राजस्थान में कहीं भी भू–धृति धारित नहीं करता है, या ऐसी भूमि का वह क्षेत्र, जो वह धारित करता है जिसमें कोई ऐसी भूमि सम्मिलित है जो उसे पूर्व मे आवंटित की गयी थी, असिंचित भूमि के 2 हैक्टर से कम है; परन्तु

(अ) सरकार का या किसी वाणिज्यिक या औद्योगिक स्थापन या समुत्थान का कोई कर्मचारी, उसकी पत्नि और उस पर आश्रित बच्चे। इस प्रयोजन के लिए किसी आकस्मिक या कार्य–प्रभारित श्रमिक को कर्मचारी के रूप में नहीं माना जायेगा;

(ब) ऐसा व्यक्ति जिसने उसके द्वारा धारित या उसे आवंटित सम्पूर्ण भूमि या उसके भाग को विक्रीत कर दिया है या अन्यथा अन्तरित कर दिया है और तद्द्वारा ऊपर विनिर्दिष्ट न्यूनतम क्षेत्र से कम धारित करता है;

(स) कोई विवाहित व्यक्ति जिसकी पत्नि या, यथास्थिति, जिसका पति पूर्व में उसे संयुक्त रूप से या पृथकतः आंवटित भूमि को सम्मिलित करते हुए अंसिचित भूमि के 2 हैक्टर से अधिक भूमि धारित करता है;

(ठ) पट्टा से राजस्थान भू–राजस्व (जैव–ईंधन रोपण और जैव–ईंधन आधारित औद्योगिक और प्रसंस्करण इकाई के लिए बंजर भूमि का आवंटन) नियम, 2007 के अधीन निष्पादित कोई पट्टा अभिप्रेत है;

(ड) सोसायटी से राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958(1958 का राजस्थान अधिनियम सं.28) के अधीन पंजीकृत सोसाइटी अभिप्रेत है;

(ढ) गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के स्वयं सहायता समूह से विभिन्न योजनाओं के अधीन राज्य में गठित अथवा नियम 2.2 के अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूह अभिप्रेत है;

(ण) ग्राम वन सुरक्षा और प्रबन्ध समिति से राज्य सरकार के वन विभाग द्वारा समय–समय पर गठित कोई समिति अभिप्रेत है; और

(त) बंजर भूमि से ऐसी निम्नीकृत भूमि जिसे युक्तियुक्त प्रयासों से खेती के काम में लाया जा सकता है और जो वर्तमान में अनुपयोजित पड़ी है और गलीदार भूमि को सम्मिलित करते हुए ऐसी भूमि अभिप्रेत है जिसका प्राकृतिक कारणों से समुचित मृदा और जल प्रबन्धन की कमी से क्षय हो रहा है।

इन नियमों में परिभाषित नहीं किये गये किन्तु जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति में परिभाषित किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों, जहां कहीं भी इन नियमों में प्रयुक्त की गयी हैं, का वही अर्थ लगाया जायेगा जो नीति में उन्हें समनुदेशित किया गया है।

भाग – 2

रतनजोत एवं समकक्ष तैलीय पौधों का पौधारोपण

2.1. पात्रता: राजस्थान बायोफ्यूल नीति के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के स्वयं सहायता समूह, ग्राम पंचायत, कृषि सहकारी समितियां, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1958 के अधीन पंजीकृत समितियां, राजकीय उपक्रम, भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 / 2013 के अधीन पंजीकृत कम्पनी आदि जो राज्य के पड़त क्षेत्रों में जैव–ईंधन वृक्षारोपण करना चाहती हैं एवं इस हेतु आवश्यक संसाधन रखती हैं तथा वांछित निवेश करने की इच्छुक हैं।

टिप्पणी:– उन राजकीय उपक्रमों एवं निजी कम्पनियों को प्राथमिकता (Preference) दी जायेगी जिसमें जैव–ईंधन हेतु रतनजोत, करंज व अन्य समकक्ष तेलीय पौधों की खेती के साथ–साथ निम्न कार्य किये जायेंगे:–

1) प्रसंस्करण इकाई की स्थापना
2) बायो–फ्यूल रिफाईनरी की स्थापना
3) पैकेज ऑफ प्रेक्टिस हेतु अनुसंधान एवं विकास कार्य
4) उच्च गुणवत्ता की पौध एवं बीज के विकास हेतु नर्सरी स्थापना
5) रतनजोत, करंज एवं अन्य समकक्ष तेलीय पौधों की खेती
6) जैव–ईंधन उद्योग में रोजगाार एवं कृषि कार्यों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार उपलब्ध करवाया जायेगा
7) जिले के निर्धारित क्षेत्र में उत्पादित रतनजोत की बायो–फ्यूल प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत एजेन्सी के माध्यम से निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की जावेगी।
8) उक्त खरीद राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम–2012 की धारा 2(XIII) के अनुरूप की जावेगी।

2.2. स्वंय सहायता समूहः

1) परियोजना क्षेत्र में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की अन्य परियोजनाओं एवं अन्य विभागों / राजकीय प्राधिकरणों / एजेन्सियों यथा, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका) के महिला स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन एवं क्लस्टर स्तरीय फैडरेशन, महिला एवं बाल विकास विभाग, सहकारिता विभाग, डेयरी आदि एवं के स्वयं सहायता समूह का इन नियमों के अन्तर्गत विकास अधिकारी के माध्यम से निःशुल्क आवेदन करने पर जिला परिषद द्वारा औपचारिक गठन किया जा सकेगा।

2) इन नियमों के अन्तर्गत नये स्वयं सहायता समूह का गठन जिला परियोजना प्रबन्धक राजीविका अथवा विकास अधिकारी की सिफारिश पर जिला परिषद द्वारा निःशुल्क किया जायेगा। समूह के गठन में यह ध्यान रखा जावे कि –

i. समूह में बी.पी.एल. परिवार अथवा Socio-Economic Caste Census (SECC)-2011 अथवा समय–समय पर भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार सदस्य सम्मिलित किये जायें। सभी बी.पी.एल. परिवारों का कम से कम एक सदस्य इन समूह का सदस्य हो;

ii. समूह के सदस्यों में सामाजिक एवं आर्थिक समरूपता होनी चाहिए;

iii. समूह में 10–20 सदस्य हो सकते हैं;

iv. सदस्य एक ही गांव के निवासी होने चाहिए:

v. एक समय में एक व्यक्ति एक ही समूह का सदस्य हो: एवं

vi. एक परिवार से एक समूह में एक व्यक्ति ही सदस्य बनाया जावे।

2.3. क्रियान्वयन प्रक्रिया:

1) जैव–ईंधन वृक्षारोपण हेतु राजस्थान बायो–फ्यूल प्राधिकरण नोडल एजेन्सी का कार्य करेगा एवं तकनीकी मार्ग–दर्शन कृषि विभाग/कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा दिया जायेगा। नियम 2.1 में वर्णित पात्र जो जैव–ईंधन वृक्षारोपण परियोजना का इच्छुक हो, द्वारा विस्तृत जैव–ईंधन परियोजना तैयार की जायेगी एवं सुसंगत अभिलेखों के साथ परियोजना रिपोर्ट राजस्थान बायो–फ्यूल प्राधिकरण को आवेदन पत्र (प्रपत्र–1) में प्रेषित की जायेगी।

2) राजस्थान बायोफ्यूल नीति–2007 एवं राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान की अधिसूचना दिनांक 04.08.07 के अनुसार राजकीय बंजर भूमि (वन क्षेत्र को छोड़कर) का आंवटन निजी कम्पनियों को किये जाने हेतु निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेगी :–

1. राजकीय बंजर भूमि आंवटन हेतु इच्छुक निजी कम्पनियों से न्यूनतम एक राष्ट्रीय/राज्य स्तर के समाचार पत्रों में ई.ओ.आई. (EOI) जारी कर आवेदन प्राप्त किये जावेंगें। इस हेतु निम्न समिति द्वारा ई.ओ.आई. (EOI) से सम्बन्धित कम्पनियों की पात्रता, शर्ते इत्यादि का निर्धारण किया जावेगा।

क्र.स.	विभाग	पद
1	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं परि. निदेशक, बायोफ्यूल प्राधिकरण	अध्यक्ष
2	वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
3	वरिष्ठ विधि अधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
4	उप–मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रक्रियण)	सदस्य
5	उप–मुख्य कार्यकारी अधिकारी (भूमि एवं प्रशासन)	सदस्य सचिव

3. उक्त समिति अपनी अभिशंषा रिपोर्ट प्रशासनिक विभाग के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान सरकार को अनुमोदन हेतु भिजवायेगी।

4. अनुमोदन पश्चात् प्रकरण को जिला कलेक्टर/राज्य सरकार को आवश्यकतानुसार भिजवाया जायेगा।

3) राजकीय भूमि के सम्बन्ध में राजस्थान भू–राजस्व (जैव–ईंधन रोपण और जैव–ईंधन आधारित औद्योगिक और प्रसंस्करण इकाई के लिए बंजर भूमि का आवंटन) नियम, 2007 के अन्तर्गत आवंटन हेतु आवेदन को, बायो–फ्यूल प्राधिकरण द्वारा, अगर आवश्यक समझा जाय तो, सम्बन्धित जिला कलेक्टर को अग्रेषित किया जायेगा। यद्यपि, आवेदक(कों) द्वारा इस सम्बन्ध में सीधे ही सम्बन्धित जिला कलेक्टर को आवेदन कर सकेगा। निजी भूमि के सम्बन्ध में आवेदक भूमि निजी पार्टियों से सीधे ही प्राप्त कर सकेगा।

4) सुसंगत अभिलेखों में निम्न दस्तावेज सम्मिलित हैंः–

5) भूमि स्वामित्व/आवंटन अभिलेख, परियोजना रिपोर्ट, क्षेत्र का विवरण एवं नक्शा, रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या एवं अन्य प्रजातियां जो लगाई जायेगी का विवरण, अनुमानित लागत।

6) आवंटित राजकीय भूमि के सम्बन्ध में संबंधित वन विकास अभिकरण/ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति/ग्राम पंचायत की साधारण सभा में निर्णय करवा कर परियोजना को उपयुक्त पाये जाने की स्थिति में बायोफ्यूल प्राधिकरण को तकनीकी अनुशंसा तथा संबंधित साधारण सभा के अनुमोदन संबंधी सूचना के साथ प्रेषित कर दी जायेगी। यदि किसी क्षेत्र विशेष के संबंध में एक से अधिक कम्पनियां/समितियां/राजकीय उपक्रम आदि आवेदन करती हैं तो ऐसे प्रकरणों में कम्पनियों की क्षमता एवं परियोजना रिपोर्ट की तकनीकी उपयुक्तता को दृष्टिगत रखते हुए उप वन संरक्षक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् द्वारा एक कम्पनी/ समिति/ राजकीय उपक्रम आदि की अनुशंसा कर बायोफ्यूल प्राधिकरण को अन्तिम निर्णय के लिए प्रषित किया जायेगा।

7) बायोफ्यूल प्राधिकरण सक्षम स्तर पर अनुमोदनोपरान्त क्रियान्वयन हेतु कम्पनी/समिति/राजकीय उपक्रम की परियोजना सम्बन्धित उप वन संरक्षक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् को प्रेषित कर दी जायेगी।

8) तत्पश्चात् संबंधित उप वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वन विकास अभिकरण/ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति/ग्राम पंचायत को प्रेषित कर दी जायेगी।

9) वन विकास अभिकरण/ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति/ग्राम पंचायत के नियमानुसार अनुमोदन उपरान्त निवेश कर्ता के साथ त्रिपक्षीय एम.ओ.यू. (प्रपत्र–2) का निष्पादन किया जायेगा। वन विकास अभिकरण द्वारा एम.ओ.यू. वन विकास अभिकरण के मुख्य कार्यकारी

अधिकारी द्वारा, ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति बाबत एम.ओ.यू. वन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष द्वारा एवं ग्राम पंचायत की ओर से विकास अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा। कम्पनियों/समितियों/राजकीय उपक्रमों को वृक्षारोपण हेतु कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन विकास अभिकरण/ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति/ ग्राम पंचायत को राशि उपलब्ध करानी होगी। क्षेत्र की उपयुक्तता के अनुसार रतनजोत एवं करंज के रोपण के साथ–साथ अन्य प्रजातियों के पौधों का रोपण भी करवाया जाना वांछनीय होगा। संस्थाओं द्वारा उन्हीं क्षेत्रों में जहां रतनजोत एवं करंज प्राकृतिक रूप से बहुतायत से पाये जाते हैं अथवा राजस्थान बायो–फ्यूल प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित क्षेत्र में बॉयो–ईंधन वृक्षारोपण किये जा सकेंगे तथा इन प्रजातियों का रोपण क्षेत्र विशेष समग्र वृक्षारोपण परियोजना का भाग है।

i एम.ओ.यू. 10 वर्ष की अवधि के लिए होगा जो तीनों पक्षों की सहमति से बढ़ाया जा सकेगा।

ii जो कम्पनियां/समितियां/राजकीय उपक्रम अनुसंधान एवं अनुवांशकीय सुधार पर कार्य करने की इच्छुक होंगी तथा जिनके पास उपयुक्त संसाधन होंगे उन्हें प्राथमिकता दी जावेगी।

iii वृक्षारोपण से प्राप्त रतनजोत के बीजों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कम्पनियों/समितियों/राजकीय उपक्रमों द्वारा क्रय किया जावेगा। वन सुरक्षा समिति/बी.पी.एल. परिवारों के स्वयं सहायता समूह/ग्राम पंचायत/कृषि सहकारी समितियां/पंजीकृत समितियां आदि रतनजोत/करंज के बीजों को कम्पनी अथवा राजकीय उपक्रम को ही बेचेगी तथा अन्य लघु उपज का लाभ राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित दर के आधार पर प्राप्त कर सकेंगी।

iv रतनजोत आच्छादित 5000 हैक्टेयर क्षेत्र में एक ही कम्पनी ट्रांसइस्टेरिफिकेशन प्लान्ट लगायेगी।

2.4. वृक्षारोपण हेतु शर्तें:–

कम्पनियां/राजकीय उपक्रम को निम्न शर्तों की पालना करनी होगी:–

1) राजस्थान भू–राजस्व (जैव–ईंधन रोपण और जैव–ईंधन आधारित औद्योगिक और प्रसंस्करण इकाई के लिए बंजर भूमि का आवंटन) नियम, 2007 के अन्तर्गत आवंटित जिस भूमि पर वृक्षारोपण किया जा रहा है उस भूमि का स्वामित्व सदैव राज्य सरकार के पास ही रहेगा।

2) वन भूमि में वृक्षारोपण के अतिरिक्त किसी प्रकार का कोई गैर कृषि/गैर वानिकी कार्य नहीं करवाया जायेगा लेकिन जल संरक्षण का कार्य जैसे एनिकट निर्माण, नाडी निर्माण, जैव–ईंधन गतिविधियों से सम्बन्धित कार्य बायो–फ्यूल प्राधिकरण की अनुमति से करवाया जा सकेगा।

3) वन भूमि में वृक्षारोपण क्षेत्र में केवल जैव–ईंधन प्रजातियों का रोपण (मोनोकल्चर) किसी भी

सूरत में नहीं किया जायेगा। जैव–ईंधन प्रजातियों का रोपण उक्त क्षेत्र की समग्र वृक्षारोपण का भाग होगा।

4) वन भूमि पर जैव–ईंधन बीज के अतिरिक्त क्षेत्र से मिलने वाली अन्य उत्पाद पर निवेशकर्ता का कोई हक नहीं होगा।

5) रतनजोत एवं अन्य समकक्ष अखाद्य तैलीय पौधों का वृक्षारोपण/बीजारोपण वन विभाग या बायोफ्यूल प्राधिकरण द्वारा तैयार किये गये वृक्षारोपण मॉडल के अनुसार किया जावेगा।

6) रोपण हेतु धनराशि कम्पनी/समिति/राजकीय उपक्रम द्वारा उपलब्ध करवाई जावेगी तथा प्रजातियों का रोपण एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित होने के तीन वर्ष की अवधि के भीतर किया जाना आवश्यक होगा।

7) जैव–ईंधन वृक्षारोपण कार्य, क्षेत्र की देखभाल एवं सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी समिति की होगी।

8) वृक्षारोपण/ अन्य विकास कार्य को समिति किसी अन्य व्यक्ति/संस्था को सबलेट नहीं कर सकेगी।

9) किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में विवादों का समाधान संबंधित वन संरक्षक/ जिला स्टेयरिंग कमेटी द्वारा किया जायेगा।

10) यदि उपरोक्त उप–नियम (9) में वर्णित अधिकारी के निर्णय से संबंधित पक्ष सहमत नहीं हो तो बायोफ्यूल प्राधिकरण के स्तर पर अपील कर सकेंगे एवं ऑथोरिटी का निर्णय अन्तिम होगा।

11) भारत सरकार/राज्य सरकार एवं जैव–ईंधन ऑथोरिटी द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों की पालना की जायेगी।

12) बायोफ्यूल प्राधिकरण के पास राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि से निजी, संस्थानिक एवं राज्य सरकार द्वारा आंवटित बंजर भूमि पर पौधारोपण एवं अन्य बायोफ्यूल गतिविधियां कराने हेतु प्रशासनिक विभाग द्वारा सहमति प्राप्त की जावेगी।

13) बायोफ्यूल सम्बन्धी समस्त गतिविधियों हेतु निजी व्यक्ति, निजी संस्था, राजकीय उपक्रम इत्यादि से आवश्यकतानुसार एम.ओ.यू. की प्रक्रिया प्रशासनिक विभाग से सहमति प्राप्त कर ही की जावेगी।

14) इस सम्बन्ध में भारत सरकार, राज्य सरकार, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशों की पूर्ण पालना की जायेगी।

15) समस्त विवादों का निपटारा राजस्थान राज्य के न्यायिक क्षेत्राधिकार संबंधित सक्षम न्यायालयों में ही किया जा सकेगा।

भाग – 3

रतनजोत एवं समकक्ष तैलीय पौधों से प्राप्त बीजों का संग्रहण एवं समर्थन मूल्य पर खरीद

3.1. संग्रहण एवं क्रय हेतु अधिकृतः—

(1) रतनजोत एवं समकक्ष अखाद्य तैलीय पौधों से प्राप्त बीजों के संगहण एवं समर्थन मूल्य पर क्रय हेतु बायो—फ्यूल प्राधिकरण, ग्रामीण विकास एव पंचायतीराज विभाग, राज्य सरकार की ओर से राजस्थान सहकारी क्रय विक्रय संघ, जयपुर एवं राजससंघ, उदयपुर विपणन एजेन्सी के रूप में राज्य सरकार के निर्देशानुसार कार्य करेगा।

(2) बायो—फ्यूल प्राधिकरण राजफैड के अतिरिक्त इस हेतु किसी पंजीकृत सरकारी संस्थाओं, गैर—सरकारी संस्थाओं, स्वयं सहायता समूहों को भी अधिकृत कर सकेगी।

(3) बायो—फ्यूल प्राधिकरण आवश्यकता होने पर स्वयं भी रतनजोत एवं समकक्ष अखाद्य तैलीय पौधों से प्राप्त बीजों का संग्रहण एवं क्रय कर सकेगी।

(4) जनजाति उप योजना से सम्बन्धित जिलों में राजससंघ उदयपुर यदि चाहे तो रतनजोत एवं समकक्ष तैलीय पौधों से प्राप्त बीजों की समर्थन मूल्य पर खरीद कर सकेगा। इस हेतु उसे राजफैड के साथ पृथक से अनुबंध करना होगा।

3.2. क्रय केन्द्र एवं क्रय केन्द्र का कार्यक्षेत्रः—

राजफैड द्वारा रतनजोत एवं समकक्ष तैलीय पौधों से प्राप्त बीजों की खरीद का कार्य अपनी सदस्य क्रय विक्रय सहकारी समितियों के माध्यम से करवाया जायेगा। क्रय विक्रय सहकारी समितियां क्षेत्र के किसानों से रतनजोत एवं समकक्ष अखाद्य तैलीय पौधों से प्राप्त बीजों की खरीद का कार्य करेगी। आवश्यकता होने पर राजफैड द्वारा किसी सहकारी संस्था के माध्यम से रतनजोत एवं समकक्ष अखाद्य तैलीय पौधों से प्राप्त बीजों की खरीद का कार्यक्षेत्र का निर्धारण किया जा सकेगा। बायो—फ्यूल प्राधिकरण द्वारा अधिकृत किसी पंजीकृत सरकारी संस्थाओं, गैर—सरकारी संस्थाओं, स्वयं सहायता समूहों के कार्यक्षेत्र का भी निर्धारण किया जा सकेगा।

3.3. संग्रहण एवं खरीद प्रक्रियाः—

1) गुणवत्ता का मापदण्ड— रतनजोत एवं समकक्ष तैलीय पौधों की खरीद हेतु गुणवत्ता मापदण्ड कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर अथवा बायो—फ्यूल प्राधिकरण द्वारा अधिकृत किसी तकनीकी ऐजन्सी के माध्यम से निर्धारित करवाया जायेगा।

2) बारदाना– खरीद हेतु बारदाना राजफैड अथवा नियम 3.1 के अन्तर्गत अधिकृत क्रय ऐजेन्सी द्वारा उपलब्ध करवाया जायेगा।

3) भर्ती एवं बोरियों की सिलाई– रतनजोत की बोरियों में भर्ती 50 किलो प्रति बोरी होगी। बोरी पर 14–16 क्रास टांके लगाने अनिवार्य होंगे।

4) बोरियों पर मार्का–बोरियों पर गहरे रंग का मार्का निम्नानुसार लगाया जायेगा–

i. विपणन वर्ष –

ii. कृषि जिन्स – रतनजोत या अन्य अखाद्य तैलीय बनस्पति

iii. क्रय एजेन्सी –

iv. क्रय केन्द्र का नाम –

v. सहकारी समिति का नाम –

vi. भर्ती 50 किलो नेट

5) किसानों को रतनजोत का भुगतान तत्काल सम्बन्धित क्रय विक्रय सहकारी समिति/संग्रहण या क्रय केन्द्र द्वारा किया जायेगा। राजफैड/क्रय ऐजेन्सी द्वारा संबंधित सहकारी समिति/संस्था को पुनर्भरण किया जायेगा।

6) खरीद रजिस्टर– क्रय केन्द्र पर खरीद रजिस्टर रखा जायेगा। खरीद केन्द्र द्वारा किसान को क्रय पर्ची दी जायेगी जिसमें क्रय मात्रा दर एवं कुल राशि का उल्लेख होगा।

3.4. भण्डारण–

(1) रतनजोत एवं अन्य अखाद्य तैलीय वनस्पति को क्रय–विक्रय सहकारी समिति/क्रय केन्द्र अपने गोदाम में सुरक्षित रखेगी। ज्योंही क्रय की गई रतनजोत ट्रक/मिनी ट्रक लोड हो जाती है वैसे ही रतनजोत का भंडारण जिला स्टेयरिंग/राजफैड के निर्देशानुसार केन्द्रीय/राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम के गोदामों में राजफैड/क्रय एजेन्सी के नाम से करवाया जायेगा।

(2) भंडारण रसीदें– केन्द्रीय/राज्य भण्डार व्यवस्था निगम से समय पर भंडारण रसीदें सम्बन्धित क्रय–विक्रय सहकारी समिति/क्रय केन्द्र के द्वारा बिना किसी रिमार्क के राजफैड/क्रय एजेन्सी के नाम से प्राप्त की जायेगी, जिन्हें उनके द्वारा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय राजफैड/क्रय एजेन्सी को भिजवानी होगी। भंडारण हेतु रतनजोत भिजवाने पूर्व भंडारगृह में उपलब्ध रिक्त स्थान की जानकारी संबंधित भंडार प्रबन्धक से समिति द्वारा प्राप्त की जायेगी, क्योंकि प्रतिदिन रिक्त स्थान की उपलब्धता में परिवर्तित होता रहता है।

3.5. हैण्डलिंग एवं परिवहनः–

1) हैण्डलिंग एवं परिवहन व्ययों का निर्धारण स्थानीय स्तर पर निम्नानुसार गठित कमेटी द्वारा किया जायेगाः–

1.	सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां	अध्यक्ष
2.	व्यवस्थापक क्रय विक्रय सहकारी समिति	सदस्य सचिव
3.	लेखाकार क्रय विक्रय सहकारी समिति	सदस्य
4.	क्षेत्रीय अधिकारी राजफैड / क्रय एजेन्सी का प्रतिनिधि	सदस्य

कमेटी का कोरम तीन का होगा जिसमें अध्यक्ष की उपस्थिति आवश्यक होगी।

2) हैण्डलिंग एवं परिवहन व्यवस्था के संबंध में सभी प्रकार के निर्णय लेने के लिए उक्त कमेटी सक्षम होगी। निविदा का आमंत्रण सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियों द्वारा किया जायेगा, विज्ञापन प्रकाशन का कार्य, भुगतान संबंधित समिति द्वारा किया जायेगा। निविदा कार्य सम्पन्न होने के पश्चात् संबंधित समितियों के द्वारा कार्य आदेश जारी किया जायेगा एवं हैण्डलिंग एवं परिवहन कार्य समाप्त होने के पश्चात् उनके द्वारा किये गये कार्यों का भुगतान संबंधित समितियों द्वारा किया जायेगा जिसका पुनर्भरण राजफैड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा नियमानुसार किया जायेगा। हैण्डलिंग एवं परिवहन एजेन्ट को भुगतान करते समय उसके बिल में से नियमानुसार आयकर एवं सर्विस टैक्स की कटौति कर प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा। हैण्डलिंग एवं परिवहनकर्ता को संबंधित समिति का नोमिनल सदस्य बनना होगा।

3) हैण्डलिंग एवं परिवहन का कार्य राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम–2012 एवं नियम–2013 के प्रावधान के अनुसार किया जायेगा। निविदा प्रक्रिया के माध्यम से परिवहन दरों का निर्धारण गठित कमेटी के माध्यम से किया जा सकेगा।

4) सभी मण्डियों में हैण्डलिंग एवं स्थानीय परिवहन की दरें तय की हुई हैं। मण्डी समिति द्वारा हैण्डलिंग एवं परिवहन की दरों का निर्धारण कृषकों के प्रतिनिधि, व्यापार मण्डल के प्रतिनिधि, मजदूरों के प्रतिनिधि और मण्डी समिति के अधिकारियों के माध्यम से किया जाता है जिसका अनुमोदन कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर द्वारा किया जाता है। अतः हैण्डलिंग कार्य सम्बन्धित मण्डी में कार्यरत दरों पर कराया जायेगा। इस हेतु कृषि उपज मण्डी समिति से आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा।

5) जिस केन्द्र पर मण्डी अथवा गौण मण्डी कार्यरत नहीं है वहां पर नजदीकी मण्डी की प्रचलित दरें लागू होंगी।

6) वेयर हाउस में स्टेक का कार्य संबंधित वेयर हाउस में प्रचलित स्टेकिंग की दरों पर कराया जायेगा।

3.6. क्रय की गई रतनजोत एवं समकक्ष अखाद्य तैलीय पौधों से प्राप्त बीजों की सुरक्षाः–

क्रय केन्द्र पर वर्षा, धूल, आंधी से सुरक्षा के लिए तिरपाल की पुख्ता व्यवस्था की जायेगी तथा बीमा भी करवाया जायेगा। क्रय केन्द्र से ट्रकों द्वारा रतनजोत एवं समकक्ष अखाद्य

तैलीय पौधों से प्राप्त बीजों के परिवहन भंडारण गोदाम तक करवाते समय ध्यान रखा जायेगा कि ट्रक पर तिरपाल की व्यवस्था हो ताकि परिवहन के दौरान रतनजोत की सुरक्षा हो सके।

3.7. प्रचार–प्रसारः–

क्रय विक्रय सहकारी समिति द्वारा खरीद केन्द्र के मुख्य द्वार एवं मण्डी प्रांगण में पोस्टर एवं कपड़े के बैनर लगार कर प्रचार–प्रसार किया जायेगा।

3.8. छाया–पानी की व्यवस्थाः–

क्रय केन्द्र पर कृषि उपज मण्डी समिति के माध्यम से छाया पानी एवं बिजली आदि की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

3.9. सूचना–सम्प्रेषणः–

राजफैड द्वारा रतनजोत एवं समकक्ष अखाद्य तैलीय पौधों से प्राप्त बीजों की खरीद, भाव, एवं बारदाना की सूचना संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी राजफैड को क्रय विक्रय सहकारी समितियों द्वारा प्रेषित की जायेगी।

3.10. विजीट रजिस्टरः–

क्रय केन्द्र पर एक विजीट रजिस्टर रखा जायेगा जिसमें केन्द्र पर समय–समय पर पर्यवेक्षण करने वाले अधिकारियों के निर्देशों एवं सुझावों का संधारण किया जायेगा।

3.11. क्रय किये गये रतनजोत का निस्तारणः–

समर्थन मूल्य पर क्रय की गई रतनजोत एवं अन्य तैलीय पौधों के बीजों का विक्रय राजफैड द्वारा अपनी विक्रय नीति एवं प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

भाग – 4

न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण

4.1 न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारणः–

रतनजोत एवं अन्य तैलीय बीजों के क्रय हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण की अनुशंसा निम्नांकित सदस्यों की एक समिति द्वारा की जायेगीः–

1-	अति. मुख्य सचिव /प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग	अध्यक्ष
2-	आयुक्त/निदेशक, कृषि निदेशालय	सदस्य
3-	शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग	सदस्य
4-	शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
5-	प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य सहकारी क्रय–विक्रय संघ, लि.	सदस्य
6-	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पी.डी बायो–फ्यूल प्राधिकरण पदेन शासन उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य–सचिव

4.2 समर्थन मूल्य के निर्धारण की प्रक्रिया एवं फार्मूले का निर्धारण समिति द्वारा किया जायेगा।

4.3 यह समिति समर्थन मूल्य का निर्धारण करेगी एवं समय–समय पर इसकी समीक्षा करेगी।

4.4 उक्त समिति की अनुशंसा एवं वित्त विभाग की सहमति से ग्रामीण विकास विभाग द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण किया जायेगा।

4.5 समर्थन मूल्य का निर्धारण करते समय राजससंघ द्वारा प्रतिवर्ष तय किये गये सर्मथन मूल्य को भी ध्यान में रखेगी।

राजस्थान सरकार
बायोफ्यूल प्राधिकरण
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(तृतीय तल, बी–ब्लॉक, योजना भवन, सी–स्कीम, जयपुर, फोन : 2220672, 2224765 फैक्स नं. 2224754 E-mail: biofuelraj@yahoo.co.in)

क्रमांकः प. 6(83)/ग्रा.वि./बीएफए/नियम/2017/987 दिनांक 13/08/2019

आदेश

पेट्रोलियन एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी गजट अधिसूचना क्रमांक पी–13039(18)/1/2018–सीसी (पी–26825) दिनांक 30.04.2019 की अनुपालना में राजस्थान राज्य मे परिवहन प्रयोजन हेतु हाई स्पीड डीजल के साथ मिश्रण के लिये जैव डीजल (बी–100) के उत्पादन वितरण एंव विक्रय के सम्बध में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान जैव ईधन पंजीकरण नियम 2019 एतदद्वारा लागू किये जाते है।

राज्य में जैव डीजल के अवैध व्यापार को रोकने तथा जैव डीजल (बी–100) के उत्पादन, वितरण एवं विकय/खुली बिक्री को विनियमित करने के प्रयोजन से बायोफ्यूल प्राधिकरण, ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज विभाग राजस्थान को जैव ईधन पंजीकरण नियम 2019 लागू करने तथा इन नियमों के अन्तर्गत राज्य में जैव डीजल (बी–100) की थोक/खुदरा बिक्री हेतु विनिमार्ताओं, आपूर्तिकर्ताओं /वितरकों एवं विक्रेताओं का पंजीकरण करने हेतु एतद् द्वारा अधिकृत किया जाता है। बायोफ्यूल प्राधिकरण, राजस्थान भारतीय मानक ब्यूरों द्वारा जैव डीजल (बी–100) के निर्धारित मानक 15607 : 2016 के अनुरूप निम्नांकित दिशानिर्देशों के अनुसार स्वदेशी जैव डीजल (बी–100) के उत्पादन, आपूर्ति, भण्डारण, थोक एवं खुली बिक्री को विनियमित करेंगा एवं इस प्रकिया के अन्तर्गत आवश्यक समस्त रिकॉर्ड संधारित करेगा।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी गजट अधिसूचना दिनांक 30.04.2019 में वर्णित दिशानिर्देशों के अन्तर्गत राज्य सरकार के अन्य सम्बन्धित विभाग नियमानुसार अनापत्ति/अनुमति/प्रमाण पत्र जारी करेंगें। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों के राज्य समन्वयक अधिसूचना के अनुसार गुणवत्ता नियन्त्रण एवं विपणन दिशानिर्देशों के कियान्वयन में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगें।

(डी. बी. गुप्ता)
मुख्य सचिव
राजस्थान सरकार

प्रतिलिपि सम्बन्धित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. संयुक्त सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

5. श्री वाई. बी रामाकृष्णा, चेयरमेन, बायोफ्यूल समन्वय समिति, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. श्री संदीप चतुर्वेदी, बायोडीजल ऐसोसिएशन ऑफ इण्डिया, मुम्बई।
7. निदेशक, उत्तर प्रदेश/छत्तीसगढ/कर्नाटक, बायोफ्यूल/बायोऐनर्जी बोर्ड/ऐजेन्सी
8. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
9. अतिरिक्त मुख्य सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
10. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
11. अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
12. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
13. अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान एंव पेट्रोलियम विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
14. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
15. प्रमुख शासन सचिव, एम.एस.एम.ई. विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
16. प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
17. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
18. अध्यक्ष, राजस्थान प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, राजस्थान सरकार, जयपुर।
19. शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
20. शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
21. शासन सचिव, परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
22. शासन सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
23. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रिय विकास विभाग, उदयपुर
24. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय सघ लि./राजस सघ, जयपुर।
25. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान सरकार, जयपुर।
26. नियन्त्रक, उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
27. महा निदेशक, राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण, भारत सरकार, नई दिल्ली।
28. निदेशक, एम.एस.एम.ई, भारत सरकार, बाईस गोदाम इन्डस्ट्रियल ऐरिया, जयपुर।
29. निदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो, मानकालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
30. उप मुख्य विस्फोटक नियन्त्रक, पेट्रोलियम विस्फोटक एवं सुरक्षा संगठन, जयपुर।
31. मुख्य निरिक्षक, कारखाना एवं बॉयलर विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
32. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
33. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
34. समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान सरकार, जयपुर।

(राजेश्वर सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव,
ग्रा.वि.एवं पंचायती राज
विभाग

भाग – 5

जैव ईंधन विनिमार्ताओं, आपूर्तिकर्ताओं एवं विक्रेताओं का पंजीयन

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी गजट अधिसूचना क्रमांक पी–13039(18)/1/2018–सीसी (पी–26825) दिनांक 30.04.2019 की अनुपालना में राजस्थान राज्य मे परिवहन प्रयोजन हेतु हाई स्पीड डीजल के साथ मिश्रण के लिये जैव डीजल (बी–100) के उत्पादन वितरण एंव विक्रय के सम्बध में राज्य सरकार द्वारा निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये जाते है।

1. राज्य में जैव डीजल के अवैध व्यापार को रोकने तथा जैव डीजल (बी–100) के उत्पादन, वितरण एवं विकय/खुली बिक्री को विनियमित करने के प्रयोजन से बायोफ्यूल प्राधिकरण, ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज विभाग राजस्थान को जैव ईंधन पंजीकरण नियम 2019 लागू करने तथा इन नियमों के अन्तर्गत राज्य में जैव डीजल (बी–100) की थोक/खुदरा बिक्री हेतु विनिमार्ताओं, आपूर्तिकर्ताओं एवं विक्रेताओं का पंजीकरण करने हेतु एत्द द्वारा अधिकृत किया जाता है।

2. भारतीय मानक ब्यूरों द्वारा जैव डीजल (बी–100) के निर्धारित मानक 15607 : 2016 के अनुरूप बायोफ्यूल प्राधिकरण, राजस्थान द्वारा निम्नांकित दिशानिर्देशों के अनुसार स्वदेशी जैव डीजल (बी–100) के उत्पादन, आपूर्ति, भण्डारण, थोक एवं खुली बिक्री को विनियमित करेंगा एवं इस प्रकिया के अन्तर्गत आवश्यक समस्त रिकॉर्ड का संधारण किया जायेगा।

3. स्वदेशी जैव डीजल (बी–100) के विनिर्माताओं एवं उनके अधिकृत आपूर्तिकर्ताओं और विकेताओं को राज्य में जैव डीजल (बी–100) के विपणन हेतु बायोफ्यूल प्राधिकरण, राजस्थान से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

4. राज्य में जैव डीजल (बी–100) के विपणन की अनुमति प्राप्त करने के लिए इच्छुक विनिर्माता अथवा उनके अधिकृत आपूर्तिकर्ता और विक्रेता को इस प्रयोजन हेतु निर्दिष्ट आवेदन प्रपत्र (अनुलग्नक – 3 अ/3 ब/3 स/3 द) में आवेदन बायोफ्यूल प्राधिकरण राजस्थान को पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया जाना होगा।

5. जैव डीजल (बी–100) के विनिर्माताओं द्वारा उत्पादन संयत्र हेतु प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से संचालन की अनुमति (Consent to Operate) जारी किये जाने के बाद ही बायोफ्यूल प्राधिकरण मे पंजीयन हेतु आवेदन करना होगा। आपूर्तिकर्ताओं और विक्रेताओं द्वारा सम्बन्धित विनिर्माता का बायोफ्यूल प्राधिकरण मे पंजीयन होने एंव विनिर्माता से आश्य पत्र (Letter of Intent) प्राप्त करने के उपरान्त ही स्वयं के लिये पंजीयन हेतु आवेदन करना होगा।

6. बायोफ्यूल प्राधिकरण, राजस्थान द्वारा जैव डीजल (बी–100) के उत्पादन एवं विपणन की अनुमति आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों एवं केन्द्र/राज्य के अन्य सम्बन्धित विभागो के द्वारा जारी किये गये अनापति प्रमाण पत्र/अनुमोदन/ पंजीकरण के अध्यधीन होगी। यह अनुमति आवेदक को निर्धारित अवधि के लिए जारी की जाएगी जिसका नियमानुसार नवीनीकरण कराया जा सकेंगा।

7. जैव डीजल विनिर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं और विक्रेताओं द्वारा बायोफ्यूल प्राधिकरण, राजस्थान द्वारा जारी की गयी अनुमति को अपने परिसर में उपयुक्त स्थान पर प्रमुखता से प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।

8. उपर्युक्त अनुमति के अनुसरण में विक्रय किये जाने वाला जैव डीजल आयातित न होकर स्वदेशी रूप से ही उत्पादित होना आवश्यक है।

9. जैव डीजल (बी–100) के खुदरा विक्रेताओं को ग्राहक के वाहन के डीजल टैक में हाई स्पीड डीजल के साथ मिश्रण हेतु जैव डीजल (बी–100) के अनुमोदित प्रतिशतता को अंग्रेजी और हिन्दी भाषा में बिक्री स्थल पर प्रमुखता से बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाना आवश्यक होगा। साथ ही जैव डीजल खुदरा बिक्री केन्द्र पर विनिर्धारित प्रतिशतता से अधिक प्रतिशतता में जैव डीजल के उपयोग से इंजन को क्षति होने की सम्भावना की चेतावनी भी प्रमुखता से बोर्ड पर प्रदर्शित की जानी अनिवार्य होगी।

10. जैव डीजल आपूर्तिकर्ताओं और विक्रेताओं को बिक्री केन्द्र पर भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जैव डीजल (बी–100) के निर्धारित मानक 15607 : 2016 के अतिरिक्त विक्रय किये जाने वाले जैव डीजल (बी–100) के विपणन अनुशासन दिशा निर्देशों (एम.डी.जी.) में वर्णित मानको को भी बैच एंव दिनांक सहित बोर्ड पर प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा।

11. पंजीकृत विनिर्माताओं एवं उनके अधिकृत आपूर्तिकर्ताओं और विक्रेताओं को उत्पादन एंव विक्रय से सम्बधित सामग्री (जो भी लागू हो) के क्रय, विक्रय, खपत और बकाया का समस्त रिकार्ड राज्य सरकार और/अथवा केन्द्र सरकार के किसी प्राधिकृत प्राधिकारी के निरीक्षण हेतु अपने परिसर में रखा जाना आवश्यक होगा।

12. जैव डीजल (बी–100) विनिर्माताओं एवं उनके अधिकृत आपूर्तिकर्ताओं और विक्रेताओं को कम से कम पिछली तीन आपूर्तियों/बैच के नमूने अपने परिसर में रखने होगे ताकि उपर्युक्त उद्धेश्य के लिए किसी भी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उनका निरीक्षण और/अथवा जांच की जा सके।

13. जैव डीजल (बी–100) विनिर्माताओं एवं उनके अधिकृत आपूर्तिकर्ताओं और विक्रेताओं को एक रजिस्टर में जैव डीजल (बी–100) की प्रत्येक बिक्री का स्थायी रिकार्ड रखना होगा, जिसे दैनिक आधार पर अद्यतन किया जाएगा और यह हर समय जांच के लिए उपलब्ध रखना होगा। विनिर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं द्वारा की जाने वाली प्रत्येक बिक्री के लिए बिल (डुप्लीकेट में (बिल की एक प्रति ग्राहक के लिए और एक प्रति स्वयं के रिकार्ड के

लिए)) जारी किया जाएगा जिसमें बेची गई मात्रा, प्रभारित दर, टैक्स का विवरण, बैच संख्या और बिक्री की तारीख व समय को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना अनिवार्य होगा। विक्रेताओं द्वारा की जाने वाली प्रत्येक बिक्री के लिए बिल में उक्त रिकार्ड के अतिरिक्त वाहन संख्या और ग्राहक का नाम/संपर्क दूरभाष नम्बर इत्यादि भी दर्शाया जाना अनिवार्य होगा।

14. बायोफ्यूल प्राधिकरण विभाग के अधिकारियों अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत राज्य/जिला स्तरीय अधिकारियों के पास जैव डीजल की बिक्री करने वाले विनिर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं और विक्रेताओं (खुदरा बिक्री केन्द्रों) की नियमित जांच करने का अधिकार होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपभोक्ता को जैव डीजल सही गुणवत्ता और मात्रा में उपलब्ध हो रहा है और सीधे ईधन के तौर पर इसे परिवहन उद्धेश्य से नही बेचा जा रहा है। यदि बेचे जा रहे जैवडीजल (बी–100) का कोई नमूना फेल होता है तो बायोफ्यूल प्राधिकरण विभाग के/द्वारा अधिकृत राज्य/जिला स्तरीय प्राधिकृत अधिकारी जैव डीजल (बी–100) की बिक्री करने वाले विनिर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं और विक्रेताओं के लिए जैव डीजल (बी–100) हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी सलग्न विपणन अनुशासन दिशा निर्देशों (एम.डी.जी.) के अनुसार कार्यवाही करेगा।

15. जैव–डीजल (बी–100) की बिक्री करने वाले खुदरा बिक्री केन्द्रों हेतु मात्रा और सुरक्षा दूरी संबंधी समस्त मानदंड श्रेणी बी पेट्रोलियम उत्पादों के लिए लागू मानदंडों के अनुसार होंगे, क्योकि इसे हाई स्पीड डीजल के साथ मिश्रित किया जाना होता है जो श्रेणी बी पेट्रोंलियम उत्पाद है।

16. राज्य में जैव डीजल के विनिर्माता एवं उनके अधिकृत आपूर्तिकर्ता और विक्रेता (खुदरा बिक्री केन्द्र) द्वारा केवल बी.आई.एस. मानकों के अनुरूप जैव डीजल (बी–100) की बिक्री ही की जा सकेगी। इनके द्वारा जैव डीजल और हाई स्पीड डीजल के मिश्रण अथवा केवल डीजल की बिक्री करना अवैध है। बायोफ्यूल प्राधिकरण विभाग के प्राधिकृत अधिकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियो के मिलावटरोधी प्रकोष्ठ एंव बायोफ्यूल प्राधिकरण के प्राधिकृत अधिकारियों के संयुक्त दल को राज्य में अनाधिकृत और अवैध जैवडीजल विनिर्माण संयंत्रो, भंडारण तथा वितरण इकाईयों और खुदरा बिक्री केन्द्रों का निरीक्षण करने, तलाशी लेने और अपने कब्जे में लेने का अधिकार होगा।

17. सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियो की मोबाइल प्रयोगशालाओं के पास भी जैव डीजल की बिक्री करने वाले खुदरा बिक्री केन्द्रों, विनिर्माण संयंत्रो, आपूर्तिकर्ताओं एंव जैव डीजल के भंडारण और वितरण नेटवर्क के निरीक्षण / जांच करने का क्षेत्राधिकार होगा।

18. किसी आवेदक को जैव डीजल की बिक्री के लिए अनुमति नही देने से संबंधित शिकायतों का समाधान करने के लिए प्रभारी शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर राज्य सरकार के अपीलीय अधिकारी होंगें।

उक्त दिशा निर्देशों के क्रम में राज्य में जैव डीजल (बी–100) की बिक्री हेतु विनिर्माताओं एवं उनके अधिकृत आपूर्तिकर्ताओं और विक्रेताओं के लिये पंजीकरण नियम निम्नानुसार है।

(5.1) जैव डीजल (बी–100) विनिमार्ताओं हेतु

5.1.1 पात्रता एंव शर्तें:–

i. उत्पादन सयंत्र का स्थल – भारत में कहीं भी स्थित हो।

ii. कम्पनी / सोसाइटी के रूप में पंजीकृत

iii. एकल प्रतिष्ठान/भागीदारी फर्म के रूप में पंजीकृत

5.1.2 आवेदन :–

उक्त पात्रता एंव शर्तें पूर्ण करने वाले विनिर्माता द्वारा पजीयन हेतु आवेदन प्रपत्र सलग्न निर्धारित प्रारुप मे मय निम्न दस्तावेजों सहित बायोफ्यूल प्राधिकरण, राजस्थान सरकार के राज्य स्तरीय कार्यालय में जमा कराने होंगें।

i. कम्पनी / सोसाइटी के मेमोरेण्डम एवं आर्टिकल ऑफ एसोशियेशन की एक प्रमाणित प्रति;

ii. कम्पनी / सोसाइटी पंजीयन प्रमाण–पत्र की एक प्रमाणित प्रति;

iii. भागीदारी विलेख की प्रमाणित प्रति (भागीदारी फर्म होने की अवस्था में);

iv. एकल प्रतिष्ठान / फर्म की अवस्था में एकल प्रतिष्ठान के स्वामित्व के प्रमाण की प्रमाणित प्रति;

v. विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.);

vi. स्वदेशी उत्पादक होने का शपथ पत्र;

vii. आवेदन शुल्क रु. 1,000/– का डी.डी. जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायोफ्यूल प्राधिकरण, जयपुर के पक्ष में। यह राशि लौटाने योग्य नहीं होगी

viii. आवेदन के साथ परिशिष्ट–1 के अनुसार विभिन्न विभागो से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति/प्रमाण पत्र, इत्यादि।

5.1.3 संयत्र का भौतिक सत्यापन एंव निरीक्षण

5.1.3.1 उपरोक्त आवेदन मय दस्तावेज सही पाये जाने पर ही उत्पादन संयत्र का भौतिक सत्यापन बायोफ्यूल प्राधिकरण द्वारा इस प्रयोजन हेतु गठित संयुक्त दल द्वारा किया जायेगाा। उक्त संयुक्त दल में बायोफ्यूल प्राधिकरण के अधिकृत अधिकारियों के अतिरिक्त, बाट माप तौल विभाग एंव सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनी के एक प्रतिनिधी / विषय विशेषज्ञ (जैव डीजल) होंगे। उक्त सयुंक्त दल द्वारा उत्पादन संयत्र का भौतिक सत्यापन एंव निरीक्षण किया जाकर, निरीक्षण रिर्पोट सक्षम स्तर पर प्रस्तुत की जावेगी। उक्त सयुंक्त दल द्वारा मुख्यतः निम्नानुसार निरीक्षण/सत्यापन किये जावेगें।

i. आवेदन के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से मिलान

ii. विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) के अनुसार उत्पादन क्षमता का निरीक्षण

iii. जैव डीजल उत्पादन हेतु कच्चे माल का निरीक्षण

iv. जैव डीजल उत्पादन की तकनीक का निरीक्षण

v. जैव डीजल संयत्र की प्रयोगशाला का निरीक्षण

vi. भण्डारण क्षमता (कच्चे एवं तैयार माल) का निरीक्षण

vii. अग्निशमन यन्त्रों / सुविधाओं का निरीक्षण

viii. सैम्पल बाक्स का निरीक्षण

ix. अन्य आधारभूत सुविधाओं का निरीक्षण

x. अन्य निरीक्षण आवश्यकतानुसार

5.1.3.2 भौतिक सत्यापन उपरान्त निरीक्षण रिपोर्ट का सक्षम स्तर से अनुमोदन होने पर सम्बन्धित विनिर्माता को पजीकरण हेतु निर्धारित अवधि में प्रतिभूति राशि बैंक गारन्टी के रुप में जमा कराने हेतु लिखित में सूचित किया जायेगा। प्रतिभूति राशि का निर्धारण विनिर्माता के संयत्र की दैनिक स्थापित उत्पादन क्षमता (Installed Capacity per day) में से राज्य में जैव डीजल की थोक / रिटेल बिक्री (Estimated Sale Quantity per day in Rajasthan) हेतु लिखित रूप से किये जाने वाले प्रतिदिन बिक्री की स्वः घोषणा पत्र के आधार पर 25000 / – प्रति किलो लीटर की दर से किया जायेगा। विनिर्माता द्वारा प्रतिभूति राशि जमा कराने पर 2 वर्ष हेतु पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा। तत्पश्चात् सम्बन्धित विनिर्माता पंजीयन के नवीनीकरण हेतु पुनः आवेदन करेगा। जैव डीजल (बी–100) की बिक्री हेतु स्वः घोषणा पत्र में वृद्धि किये जाने पर तदानुसार अतिरिक्त प्रतिभूति राशि जमा कराई जानी होगी।

5.1.3.3 जैव डीजल (बी–100) उत्पादन संयत्र की क्षमता एवं विनिर्माता द्वारा राज्य में रिटेल बिक्री हेतु की स्वः घोषणा के आधार पर प्रथमतः 2000 ली. प्रतिदिन प्रति रिटेल आउटलेट (आर.ओ.) की बिक्री क्षमता को आधार मानते हुये उसके द्वारा खोले / बनाये जाने वाले रिटेल आउटलेट (आर.ओ.) की अधिकतम संख्या का निर्धारण किया जायेगा।

5.1.3.4 विनिर्माता द्वारा खोले गये रिटेल आउटलेट की सख्या में वृद्धिहेतु विनिर्माता को पूर्व में अनुमत समस्त रिटेल आउटलेट के बायोफ्यूल प्राधिकरण में पंजीयन होने के कम से कम एक वर्ष पश्चात आवेदन कर सकेंगें। बायोफ्यूल प्राधिकरण द्वारा विनिमार्ता के आवेदन के आधार पर समस्त रिटेल आउटलेट की बिक्री की समीक्षा के आधार पर न्यूनतम 1500 ली. प्रतिदिन बिक्री को आधार मानते हुये उसके द्वारा खोले / बनाये जाने वाले रिटेल आउटलेट (आर.ओ.) की अधिकतम संख्या में वृद्धि की जा सकेगी।

5.1.3.5 विनिर्माता द्वारा आपूर्तिकर्ता / विक्रेता / रिटेल आउटलेट (आर.ओ.) से करार करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जावेगा कि वह आपूर्तिकर्ता / विक्रेता / रिटेल आउटलेट (आर.ओ.) पूर्व में ही किसी अन्य विनिर्माता से सम्बद्व ना हो।

5.1.3.6 जैव डीजल (बी–100) की उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी होने अथवा विनिर्माता द्वारा राज्य में रिटेल बिक्री हेतु की स्वः घोषणा में वृद्धि करने पर रिटेल आउटलेट (आर.ओ.) की संख्या में वृद्धि की जा सकेगी।

5.1.3.7 जैव डीजल (बी–100) स्थापित उत्पादन क्षमता में बढोतरी होने पर तदानुसार सम्बन्धित विभागों के अनापत्ति / अनुमति / प्रमाण पत्र प्राप्त कर विनिर्माता द्वारा बायोफ्यूल प्राधिकरण में पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पंजीयन का नवीनीकरण करवाया जाना अनिवार्य है। जिसमें उपरोक्त समस्त शर्ते यथावत रहेगी।

5.1.3.8 जैव डीजल (बी–100) के विनिर्माताओं को उत्पादन संयत्र हेतु प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से संचालन की अनुमति (Consent to Operate) जारी किये जाने के बाद ही बायोफ्यूल प्राधिकरण मे पंजीयन हेतु आवेदन करना होगा। विनिर्माता द्वारा बायोफ्यूल प्राधिकरण मे पंजीयन होने से पूर्व किसी भी आपूर्तिकर्ता अथवा विक्रेता को जैव डीजल (बी–100) विक्रय का आशय पत्र (Letter of Intent) जारी नहीं किया जायेगा।

5.1.3.9 विनिर्माता को बायोफ्यूल प्राधिकरण राजस्थान सरकार द्वारा जारी जैव डीजल (बी–100) हेतु विपणन अनुशासन दिशानिर्देश 2019 (Marketing Discipline Guideline for Bio Diesel (B-100) 2019) के अनुसार समस्त सम्बन्धित मानदण्डों का पालन करना होगा।

(5.2) जैव डीजल आपूर्तिकर्ता हेतु

5.2.1 पात्रता एंव शर्तें:–

i. भण्डारण स्थल – राजस्थान राज्य में कहीं भी स्थित हो।

ii. जैव डीजल उत्पादक – बायोफ्यूल प्राधिकरण राजस्थान सरकार में पंजीकृत हो।

iii. कम्पनी / सोसाइटी के रूप में पंजीकृत

iv. एकल प्रतिष्ठान / भागीदारी फर्म के रूप में पंजीकृत

v. न्यूनतम 100 किलो लीटर भण्डारण क्षमता

vi. भण्डारण स्थल का माप – न्यूनतम 35 मी. x 35 मी.

5.2.2 आवेदन

उक्त पात्रता एंव शर्ते पूर्ण करने वाले आपूर्तिकर्ता द्वारा पजीयन हेतु आवेदन प्रपत्र सलग्न निर्धारित प्रारुप मे मय निम्न दस्तावेजों सहित बायोफ्यूल प्राधिकरण, राजस्थान सरकार के राज्य स्तरीय कार्यालय में जमा कराने होंगें।

i. कम्पनी / सोसाइटी के मेमोरेण्डम एवं आर्टिकल ऑफ एसोशियेशन की एक प्रमाणित प्रति;

ii. कम्पनी / सोसाइटी पंजीयन प्रमाण–पत्र की एक प्रमाणित प्रति;

iii. भागीदारी विलेख की प्रमाणित प्रति (भागीदारी फर्म होने की अवस्था में);

iv. एकल प्रतिष्ठान की अवस्था में एकल प्रतिष्ठान के स्वामित्व के प्रमाण की प्रमाणित प्रति;

v. विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.);

vi. विनिर्माता एंव आपूर्तिकर्ता के मध्य करार की प्रति

vii. विनिर्माता द्वारा आपूर्तिकर्ता को जारी आशय पत्र (एल.ओ.आई)

viii. आवेदन शुल्क रु. 1,000/– का डी.डी. जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायोफ्यूल प्राधिकरण, जयपुर के पक्ष में। यह राशि लौटाने योग्य नहीं होगी

ix. आवेदन के साथ परिशिष्ट–2 के अनुसार विभिन्न विभागो से प्राप्त अनापत्ति/अनुमति/प्रमाण पत्र

5.2.3 भण्डारण स्थल का भौतिक सत्यापन एंव निरीक्षण

5.2.3.1 उपरोक्त आवेदन मय दस्तावेज सही पाये जाने पर ही भण्डारण स्थल का भौतिक सत्यापन बायोफ्यूल प्राधिकरण द्वारा इस प्रयोजन हेतु गठित संयुक्त दल द्वारा किया जायेगाा। उक्त संयुक्त दल में बायोफ्यूल प्राधिकरण के अधिकृत अधिकारी एंव बाट माप तौल विभाग के अधिकारी होंगे। उक्त सयुंक्त दल द्वारा भण्डारण स्थल का भौतिक सत्यापन एंव निरीक्षण किया जाकर, निरीक्षण रिर्पोट सक्षम स्तर पर प्रस्तुत की जावेगी। उक्त सयुंक्त दल द्वारा मुख्यतः निम्नानुसार निरीक्षण/सत्यापन किये जावेगें।

i. आवेदन के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से मिलान

ii. कार्ययोजना/प्रतिवेदन के अनुसार न्यूनतम 100 किलो लीटर भण्डारण क्षमता का निरीक्षण

iii. अग्निशमन यन्त्रों/सुविधाओं का निरीक्षण

iv. सैम्पल बाक्स एवं प्रारम्भिक जॉच हेतु उपकरणो का निरीक्षण

v. ऑटोमेटिक टैंक गेजिंग (ए.टी.जी) प्रणाली मय घनत्व माप यंत्र का निरीक्षण

vi. अन्य आधारभूत सुविधाओं का निरीक्षण

vii. अन्य निरीक्षण आवश्यकतानुसार

5.2.3.2 भौतिक सत्यापन उपरान्त निरीक्षण रिपोर्ट का सक्षम स्तर से अनुमोदन होने पर सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता को पजीकरण हेतु निर्धारित अवधि में प्रतिभूति राशि बैंक गारन्टी के रुप में जमा कराने हेतु लिखित में सूचित किया जायेगा। प्रतिभूति राशि का निर्धारण आपूर्तिकर्ता द्वारा लिखित रूप से किये जाने वाले स्वः घोषणा पत्र के आधार पर राज्य में जैव डीजल की थोक/रिटेल बिक्री हेतु स्थापित भण्डारण क्षमता के आधार पर 5000/– प्रति किलो लीटर की दर से किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रतिभूति राशि जमा कराने पर 1 वर्ष हेतु पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा। तत्पश्चात् सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता पंजीयन के

नवीनीकरण हेतु पुनः आवेदन करेगा।

5.2.3.3 विनिमार्ता को अनुमत रिटेल आउटलैट की अधिकतम संख्या तक आपूर्तिकर्ता के माध्यम से रिटेल आउटलैट स्थापित किये जाने की अनुमति होगी।

5.2.3.4 आपूर्तिकर्ता द्वारा विक्रेता/रिटेल आउटलेट (आर.ओ.) से करार करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जावेगा कि वह विक्रेता/रिटेल आउटलेट (आर.ओ.) पूर्व में ही किसी अन्य विनिर्माता /आपूर्तिकर्ता से सम्बद्वना हो।

5.2.3.5 आपूर्तिकर्ता द्वारा किसी विनिर्माता से विक्रेता/रिटेल आउटलेट (आर.ओ.) का करार समाप्त कर नवीन विनिर्माता के आपूर्तिकर्ता के रूप मे नवीन पंजीयन हेतु आवेदन करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जावेगा कि वह पूर्व के विनिर्माता से अनापत्ति प्राप्त करे।

5.2.3.6 आवेदन पत्र के साथ उत्पादक एवं आपूर्तिकर्ता के मध्य अनुबंध/करार की प्रति संलग्न की जावेगी। एक आपूर्तिकर्ता द्वारा केवल एक ही जैव डीजल उत्पादक/विनिर्माता से अनुबंध/करार किया जा सकेगा।

5.2.3.7 आपूर्तिकर्ता को न्यूनतम 100 किलो लीटर भण्डारण क्षमता के अनुसार सम्बन्धित सुविधाएं विकसित करनी होगी।

5.2.3.8 आपूर्तिकर्ता जैव डीजल (बी–100) की खुली बिक्री करने हेतु अधिकृत नहीं होगा। आपूर्तिकर्ता का पंजीयन बायोडीजल (बी–100) की थोक बिक्री करने हेतु अधिकृत होगा।

5.2.3.9 आपूर्तिकर्ता को प्रत्येक टेंक में ऑटोमेटिक टैंक गेजिंग (ए.टी.जी) मय घनत्व माप यंत्र प्रणाली लगाई जानी आवश्यक है। जिससे कि जैव डीजल (बी–100) की मात्रा के साथ साथ घनत्व की भी जानकारी प्राप्त हो सके।

5.2.3.10 आपूर्तिकर्ता को जैव डीजल (बी–100) के भण्डारण क्षमता विकसित करने हेतु न्यूनतम 35 मी. x 35 मी. का प्लॉट माप के स्थान की आवश्यकता होगी।

5.2.3.11 आपूर्तिकर्ता को बायोफ्यूल प्राधिकरण राजस्थान सरकार द्वारा जारी जैव डीजल हेतु विपणन अनुशासन दिशानिर्देशो 2019 (Marketing Discipline Guideline for Bio Diesel (B-100) 2019) के अनुसार वितरकों से सम्बन्धित समस्त मानदण्डों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(5.3) जैव डीजल (बी–100) विक्रेता **(Retail Outlet)** हेतु

5.3.1 पात्रता एंव शर्तेः–

i. विक्रय स्थल – राजस्थान राज्य में कहीं भी स्थित हो।

ii. जैव डीजल उत्पादक/आपूर्तिकर्ता – बायोफ्यूल प्राधिकरण राजस्थान सरकार में पंजीकृत हो।

iii. कम्पनी / सोसाइटी के रूप में पंजीकृत

iv. एकल प्रतिष्ठान/भागीदारी फर्म के रूप में पंजीकृत

v. न्यूनतम 20 किलो लीटर भण्डारण क्षमता

vi. विक्रय स्थल का माप – न्यूनतम 20 मी. x 20 मी.

5.3.2 आवेदन

उक्त पात्रता एंव शर्तें पूर्ण करने वाले विक्रेता द्वारा पजीयन हेतु आवेदन प्रपत्र सलग्न निर्धारित प्रारुप मे मय निम्न दस्तावेजों सहित बायोफ्यूल प्राधिकरण, राजस्थान सरकार के राज्य स्तरीय कार्यालय में जमा कराने होंगें।

i. कम्पनी / सोसाइटी के मेमोरेण्डम एवं आर्टिकल ऑफ एसोशियेशन की एक प्रमाणित प्रति;

ii. कम्पनी / सोसाइटी पंजीयन प्रमाण–पत्र की एक प्रमाणित प्रति;

iii. भागीदारी विलेख की प्रमाणित प्रति (भागीदारी फर्म होने की अवस्था में);

iv. एकल प्रतिष्ठान की अवस्था में एकल प्रतिष्ठान के स्वामित्व के प्रमाण की प्रमाणित प्रति;

v. प्रतिवेदन/कार्ययोजना

vi. विनिर्माता/आपूर्तिकर्ता एवं विक्रेता के मध्य करार की प्रति

vii. विनिर्माता/आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी आश्य पत्र (एल.ओ.आई)

viii. आवेदन शुल्क रु. 500/– का डी.डी. जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायोफ्यूल प्राधिकरण, जयपुर के पक्ष में। यह राशि लौटाने योग्य नहीं होगी

ix. आवेदन के साथ परिशिष्ट–3 के अनुसार विभिन्न विभागो से प्राप्त अनापत्ति/अनुमति/प्रमाण पत्र

5.3.3 विक्रेता/रिटेल आउटलेट का भौतिक सत्यापन एंव निरीक्षण

5.3.3.1 उपरोक्त आवेदन मय दस्तावेज सही पाये जाने पर ही विक्रेता/रिटेल आउटलेट स्थल का भौतिक सत्यापन बायोफ्यूल प्राधिकरण द्वारा इस प्रयोजन हेतु गठित संयुक्त दल द्वारा किया जायेगाा। उक्त संयुक्त दल में बायोफ्यूल प्राधिकरण के अधिकृत अधिकारी एंव बाट माप तौल विभाग के अधिकारी होंगे। उक्त सयुंक्त दल द्वारा विक्रेता/रिटेल आउटलेट स्थल का भौतिक सत्यापन एंव निरीक्षण किया जाकर, निरीक्षण रिर्पोट सक्षम स्तर पर प्रस्तुत की जावेगी। उक्त सयुंक्त दल द्वारा मुख्यतः निम्नानुसार निरीक्षण/सत्यापन किये जावेगें।

i. आवेदन के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से मिलान

ii. कार्ययोजना/प्रतिवेदन के अनुसार भण्डारण क्षमता का निरीक्षण

iii. अग्निशमन यन्त्रों/सुविधाओं का निरीक्षण

iv. सैम्पल बाक्स एवं प्रारम्भिक जॉच हेतु उपकरणो का निरीक्षण

v. ऑटोमेटिक टैंक गेजिंग (ए.टी.जी) मय घनत्व माप यंत्र का निरीक्षण

vi. अन्य आधारभूत सुविधाओं का निरीक्षण

vii. अन्य निरीक्षण आवश्यकतानुसार

5.3.3.2 भौतिक सत्यापन उपरान्त निरीक्षण रिपोर्ट का सक्षम स्तर से अनुमोदन होने पर सम्बन्धित विक्रेता को पजीकरण हेतु निर्धारित अवधि में प्रतिभूति राशि बैंक गारन्टी के रुप में जमा कराने हेतु लिखित में सूचित किया जायेगा। प्रतिभूति राशि का निर्धारण विक्रेता द्वारा लिखित रूप से किये जाने वाले स्वः घोषणा पत्र के आधार पर राज्य में जैव डीजल की थोक/रिटेल बिक्री हेतु स्थापित भण्डारण क्षमता के आधार पर 1000/– प्रति किलो लीटर की दर से किया जायेगा। विक्रेता द्वारा प्रतिभूति राशि जमा कराने पर 1 वर्ष हेतु पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा। तत्पश्चात् सम्बन्धित विक्रेता पंजीयन के नवीनीकरण हेतु पुनः आवेदन करेगा।

5.3.3.3 आवेदन पत्र के साथ उत्पादक/आपूर्तिकर्ता एवं विक्रेता के मध्य अनुबंध/करार की प्रति संलग्न की जावेगी। एक विक्रेता द्वारा केवल एक ही जैव डीजल (बी–100) उत्पादक/विनिर्माता/आपूर्तिकर्ता से अनुबंध/करार किया जा सकेगा।

5.3.3.4 विक्रेता द्वारा किसी विनिर्माता/आपूर्तिकर्ता से विक्रेता/रिटेल आउटलेट (आर.ओ.) का करार समाप्त कर नवीन विनिर्माता/आपूर्तिकर्ता के विक्रेता के रूप मे नवीन पंजीयन हेतु आवेदन करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जावेगा कि वह पूर्व के विनिर्माता/आपूर्तिकर्ता से अनापत्ति प्राप्त करे।

5.3.3.5 विक्रेता को न्यूनतम 20 किलो लीटर जैव डीजल (बी–100) हेतु भण्डारण क्षमता के अनुसार सम्बन्धित सुविधाएं विकसित करनी होगी।

5.3.3.6 विक्रेता को जैव डीजल (बी–100) के प्रत्येक टेंक में ऑटोमेटिक टैंक गेजिंग (ए.टी.जी) मय घनत्व माप यंत्र प्रणाली लगाई जानी आवश्यक है। जिससे कि जैव डीजल (बी–100) की मात्रा के साथ साथ घनत्व की भी जानकारी प्राप्त हो सके।

5.3.3.7 विक्रेता को जैव डीजल (बी–100) के भण्डारण क्षमता विकसित करने हेतु न्यूनतम 20 मी. x 20 मी. का प्लॉट माप के स्थान की आवश्यकता होगी।

5.3.3.8 विक्रेता को बायोफ्यूल प्राधिकरण राजस्थान सरकार द्वारा जारी जैव डीजल (बी–100) हेतु विपणन अनुशासन दिशानिर्देशो 2019 (Marketing Discipline Guideline for Bio Diesel (B-100) 2019) के अनुसार विक्रेता से सम्बन्धित समस्त मानदण्डों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(5.4) जैव डीजल (बी–100) चल विक्रेता **(Mobile Retail Outlet)** हेतु

5.4.1 पात्रता एंव शर्तेः–

i. जैव डीजल उत्पादक/आपूर्तिकर्ता – बायोफ्यूल प्राधिकरण राजस्थान सरकार में पंजीकृत हो।

ii. कम्पनी / सोसाइटी के रूप में पंजीकृत

iii. एकल प्रतिष्ठान/भागीदारी फर्म के रूप में पंजीकृत

iv. अधिकतम 2 किलो लीटर भण्डारण क्षमता

v. वाणिज्य वाहन का पंजीयन प्रमाण–पत्र

5.4.2 आवेदन

उक्त पात्रता एंव शर्तें पूर्ण करने वाले चल विक्रेता द्वारा पजीयन हेतु आवेदन प्रपत्र सलग्न निर्धारित प्रारुप मे मय निम्न दस्तावेजों सहित बायोफ्यूल प्राधिकरण, राजस्थान सरकार के राज्य स्तरीय कार्यालय में जमा कराने होंगें। अधिकतम 2 किलो लीटर भण्डारण क्षमता वाले चल विक्रेता ही आवेदन हेतु पात्र होंगे।

i. कम्पनी / सोसाइटी के मेमोरेण्डम एवं आर्टिकल ऑफ एसोशियेशन की एक प्रमाणित प्रति;

ii. कम्पनी / सोसाइटी पंजीयन प्रमाण–पत्र की एक प्रमाणित प्रति;

iii. भागीदारी विलेख की प्रमाणित प्रति (भागीदारी फर्म होने की अवस्था में);

iv. एकल प्रतिष्ठान की अवस्था में एकल प्रतिष्ठान के स्वामित्व के प्रमाण की प्रमाणित प्रति;

v. वाहन का वाणिज्यक पजींयन प्रमाण पत्र एंव फिटनेस प्रमाण पत्र

vi. प्रतिवेदन/कार्ययोजना

vii. विनिर्माता/आपूर्तिकर्ता एवं विक्रेता के मध्य करार की प्रति

viii. विनिर्माता/आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी आशय पत्र (एल.ओ.आई)

ix. आवेदन शुल्क रु. 500/– का डी.डी. जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायोफ्यूल प्राधिकरण, जयपुर के पक्ष में। यह राशि लौटाने योग्य नहीं होगी

x. आवेदन के साथ परिशिष्ट–4 के अनुसार विभिन्न विभागो से प्राप्त अनापत्ति/अनुमति/प्रमाण पत्र

5.4.3 जैव डीजल चल विक्रेता (**Mobile Retail Outlet**) का भौतिक सत्यापन एंव निरीक्षण

5.4.3.1 उपरोक्त आवेदन मय दस्तावेज सही पाये जाने पर ही चल विक्रेता/मोबाइल रिटेल आउटलेट का भौतिक सत्यापन बायोफ्यूल प्राधिकरण द्वारा इस प्रयोजन हेतु गठित संयुक्त दल द्वारा किया जायेगाा। उक्त संयुक्त दल में बायोफ्यूल प्राधिकरण के अधिकृत अधिकारी एंव बाट माप तौल विभाग के अधिकारी होंगे। उक्त सयुंक्त दल द्वारा चल विक्रेता/मोबाइल रिटेल आउटलेट का भौतिक सत्यापन एंव निरीक्षण किया जाकर, निरीक्षण रिर्पोट सक्षम स्तर पर प्रस्तुत की जावेगी। उक्त सयुंक्त दल द्वारा मुख्यत: निम्नानुसार निरीक्षण/सत्यापन किये जावेगें।

i. आवेदन के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से मिलान

ii. कार्ययोजना/प्रतिवेदन के अनुसार अधिकतम 2 किलो लीटर भण्डारण क्षमता के वाहन का निरीक्षण

iii. अग्निशमन यन्त्रों/सुविधाओं का निरीक्षण

iv. सैम्पल बाक्स एवं प्रारम्भिक जॉच हेतु उपकरणो का निरीक्षण

v. ऑटोमेटिक टैंक गेजिंग (ए.टी.जी) मय घनत्व माप यंत्र प्रणाली का निरीक्षण

vi. अन्य आधारभूत सुविधाओं का निरीक्षण

vii. अन्य निरीक्षण आवश्यकतानुसार

5.4.3.2 भौतिक सत्यापन उपरान्त निरीक्षण रिपोर्ट का सक्षम स्तर से अनुमोदन होने पर सम्बन्धित चल विक्रेता/मोबाइल रिटेल आउटलेट को पजीकरण हेतु निर्धारित अवधि में प्रतिभूति राशि बैंक गारन्टी के रुप में जमा कराने हेतु लिखित में सूचित किया जायेगा। इस हेतु जैव डीजल की थोक/रिटेल बिक्री हेतु चल विक्रेता/मोबाइल रिटेल आउटलेट द्वारा प्रतिभूति राशि एक मुश्त 10000/— बैंक गारन्टी के रुप में जमा करानी होगी। प्रतिभूति राशि जमा कराने पर 1 वर्ष हेतु पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा। तत्पश्चात् सम्बन्धित विक्रेता पंजीयन के नवीनीकरण हेतु पुन आवेदन करेगा।

5.4.3.3 आवेदन पत्र के साथ उत्पादक/आपूर्तिकर्ता एवं चल विक्रेता के मध्य अनुबंध/करार की प्रति संलग्न की जावेगी। एक विक्रेता द्वारा केवल एक ही जैव डीजल (बी—100) उत्पादक/विनिर्माता/आपूर्तिकर्ता से अनुबंध/करार किया जा सकेगा।

5.4.3.4 चल विक्रेता द्वारा किसी विनिर्माता/आपूर्तिकर्ता से चल विक्रेता/मोबाईल रिटेल आउटलेट (एम.आर.ओ.) का करार समाप्त कर नवीन विनिर्माता/आपूर्तिकर्ता के विक्रेता के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जावेगा कि वह पूर्व के विनिर्माता/आपूर्तिकर्ता से अनापत्ति प्राप्त करे।

5.4.3.5 चल विक्रेता को अधिकतम 2 किलो लीटर जैव डीजल (बी—100) हेतु भण्डारण क्षमता के अनुसार सम्बन्धित समस्त सुविधाएं विकसित करनी होगी।

5.4.3.6 चल विक्रेता को जैव डीजल (बी—100) के प्रत्येक टेंक में ऑटोमेटिक टैंक गेजिंग (ए.टी.जी) मय घनत्व माप यंत्र प्रणाली लगाई जानी आवश्यक है। जिससे कि जैव डीजल (बी—100) की मात्रा के साथ साथ घनत्व की भी जानकारी प्राप्त हो सके।

5.4.3.7 चल विक्रेता को बायोफ्यूल प्राधिकरण राजस्थान सरकार द्वारा जारी जैव डीजल (बी—100) हेतु विपणन अनुशासन दिशानिर्देशो 2019 (Marketing Discipline Guideline for Bio Diesel (B-100) 2019) के अनुसार विक्रेता से सम्बन्धित समस्त मानदण्डों का पालन करना होगा।

5.4.3.8 चल विक्रेता को पंजीकरण हेतु आवेदन करने पर अधिकतम एक वाहन के संचालन हेतु ही अनुमति दी जा सकेगी।

Annexure-1

Registration / Approvals / NOCs required for registration of Bio Diesel (B-100) Manufacturer

1. Petroleum and Explosives Safety Organization (PESO) license.
2. BIS Specification (15607:2016 or as per latest standards) Report of all parameters for Bio Diesel (B-100) by authorised / recognized laboratory till the certification and product IS number issued by BIS
3. Weights and Measures Department of the State (If applicable)
4. Industries Department registration no.
5. Factory & Boilers permission
6. Land use certificate of commercial land from District Administration
7. GST Registration
8. PAN Number
9. Fire NOC
10. Environmental Clearance certificate from the Pollution Control Board of the State
11. Micro Small Medium Entrepreneur Department (MSME) registration
12. Business Registration number of Directorate of Economics & Statistics (If plant established in Rajasthan)

परिशिष्ट–1

जैव डीजल (बी–100) विनिमार्ताओं के पंजीयन हेतु विभिन्न विभागो से प्राप्त किये जाने वाले अनापत्ति / अनुमति / प्रमाण पत्र

1. पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पेसो) लाइसेन्स।
2. भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जैव डीजल (बी–100) के निर्धारित मानक 15607 : 2016 में वर्णित समस्त मानको की मान्यता प्राप्त /अधिकृत प्रयोगशालाओं की जॉच रिर्पोट जब तक कि भारतीय मानक ब्यूरो से प्रमाणित उत्पाद का आई.एस.आई. नम्बर प्राप्त न हो।
3. बाट माप तौल विभाग द्वारा प्रमाणीकरण।(यदि लागू हो)
4. उद्योग विभाग मे पंजीयन।
5. कारखाना एवं बोयलर विभाग से अनुमति।
6. जिला प्रशासन द्वारा जारी व्यावसायिक भूमि उपयोग का प्रमााण पत्र।
7. जी. एस. टी. पंजीयन संख्या
8. पैन नम्बर
9. अग्निशमन अनापत्ति
10. प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से अनुमति
11. एम.एस.एम.ई. में पंजीयन
12. आर्थिक एंव सांख्यकी निदेशालय राजस्थान द्वारा जारी बी.आर.नम्बर (उत्पादन संयत्र राजस्थान राज्य मे होने पर)

Annexure-2

Registration/Approvals / NOCs required for registration of Bio Diesel (B-100) Supplier

1. Registration certificate for biodiesel manufacturer issued by Bio-fuel Authority Rajasthan
2. Certification of Weights and Measures Department of the State
3. Land use certificate of commercial land from District Administration (As required)
4. GST Registration
5. PAN Number
6. Fire NOC
7. Registration of Micro Small Medium Entrepreneur (MSME) of the State
8. Business Registration number of Directorate of Economics & Statistics

परिशिष्ट–2

जैव डीजल (बी–100) आपूर्तिकर्ताओं के पंजीयन हेतु विभिन्न विभागो से प्राप्त किये जाने वाले अनापत्ति/अनुमति/प्रमाण पत्र

1. बायोफ्यूल प्राधिकरण राजस्थान द्वारा उत्पादक को जारी पंजीयन प्रमाण पत्र
2. बाट माप तौल विभाग द्वारा प्रमाणीकरण।
3. जिला प्रशासन द्वारा जारी व्यावसायिक भूमि उपयोग का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो)
4. जी. एस. टी. पंजीयन संख्या
5. पैन नम्बर
6. अग्निशमन अनापत्ति
7. एम.एस.एम.ई. में पंजीयन
8. आर्थिक एंव सांख्यकी निदेशालय राजस्थान द्वारा जारी बी.आर.नम्बर (भण्डारण स्थल राजस्थान राज्य मे होने पर)

Annexure-3

Registration/Approvals / NOCs required for registration of Bio Diesel (B-100) Retail Outlet (RO)

1. Registration certificate for biodiesel manufacturer/supplier issued by Bio-fuel Authority Rajasthan
2. NOC of Opening Bio Diesel Retail outlet from District Administartion on similar lines as is being done for Retail Outlets of Public Sector Oil Marketing Companies (Except requirment of PESO license)
3. Land use certificate of commercial land from District Administration
4. National / State Highway Authorities as applicable
5. Certification of Weights and Measures Department of the State
6. GST Registration
7. PAN number
8. Fire NOC
9. Registration of Micro Small Medium Entrepreneur (MSME) of the State
10. Business Registration number of Directorate of Economics & Statistics

परिशिष्ट–3

जैव डीजल (बी–100) विक्रेताओं के पंजीयन हेतु विभिन्न विभागो से प्राप्त किये जाने वाले अनापत्ति/अनुमति/प्रमाण पत्र

1. बायोफ्यूल प्राधिकरण राजस्थान द्वारा उत्पादक/आपूर्तिकता को जारी पंजीयन प्रमाण पत्र
2. जिला प्रशासन द्वारा जैव डीजल रिटेल आउटलेट खोलने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जैसा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों के रिटेल आउटलेट हेतु दिया जाता है (पेसो लईसेन्स की आवश्यकता के अतिरिक्त)
3. जिला प्रशासन द्वारा जारी व्यावसायिक भूमि उपयोग का प्रमाण पत्र
4. राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा जारी अनापत्ति/अनुमति
5. बाट माप तौल विभाग द्वारा प्रमाणीकरण।
6. जी. एस. टी. पंजीयन संख्या
7. पैन नम्बर
8. अग्निशमन अनापत्ति
9. एम.एस.एम.ई. में पंजीयन
10. आर्थिक एंव सांख्यकी निदेशालय राजस्थान द्वारा जारी बी.आर.नम्बर

Annexure-4

Registration/Approvals / NOCs required for registration of Bio Diesel (B-100) Mobile Retail Outlet (MRO)

1. Registration certificate for biodiesel manufacturer/supplier issued by Bio-fuel Authority Rajasthan
2. RTO commercial registration of vehicle
3. Certification of Weights and Measures Department of the State
4. GST Registration
5. PAN number
6. Affidavit of Fire Extinguisher/ facility
7. Registration of Micro Small Medium Entrepreneur (MSME) of the State
8. Business Registration number of Directorate of Economics & Statistics
9. Affidavit of GPS enabled vehicle

परिशिष्ट–4

जैव डीजल (बी–100) चल विक्रेताओं के पंजीयन हेतु विभिन्न विभागो से प्राप्त किये जाने वाले अनापत्ति/अनुमति/प्रमाण पत्र

1. बायोफ्यूल प्राधिकरण राजस्थान द्वारा उत्पादक/आपूर्तिकता को जारी पंजीयन प्रमाण पत्र ।
2. प्रादेशिक परिवहन विभाग द्वारा जारी वाणिज्य वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र ।
3. बाट माप तौल विभाग द्वारा प्रमाणीकरण।
4. जी. एस. टी. पंजीयन संख्या
5. पैन नम्बर
6. अग्निशमन यन्त्र/सुविधा का शपथ पत्र
7. एम.एस.एम.ई. में पंजीयन
8. आर्थिक एंव सांख्यकी निदेशालय राजस्थान द्वारा जारी बी.आर.नम्बर
9. वाहन पर जी.पी.एस. स्थापित होने का शपथ पत्र

भाग – 6

बायोडीजल उत्पादन के लिये स्त्रोत के रूप में प्रयुक्त कुकिंग तेल एकत्रीकरण हेतु पंजीकरण

भारत सरकार के खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के आदेश दिनांक 06.05.2019 के द्वारा प्रयुक्त कुकिंग तेल से बायोडीजल उत्पादन करने हेतु आवश्यक प्रयुक्त कुकिंग तेल एकत्र करने हेतु बायोफ्यूल उत्पादक अथवा तेल एकत्रीकरण फर्म को अधिकृत/पंजीकृत किया जावेगा। इस हेतु राज्य के बायोफ्यूल बोर्ड/ऐजेन्सी को अधिकृत किया गया है।

6.1 पात्रता एंव शर्तेः–

i. कम्पनी / सोसाइटी के रूप में पंजीकृत

ii. एकल प्रतिष्ठान/भागीदारी फर्म के रूप में पंजीकृत

6.2 आवेदन

प्रयुक्त कुकिंग तेल एकत्र करने हेतु फर्म को बायोफ्यूल प्राधिकरण मे आवेदन कर निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने होगें।

6.2.1 उद्योग विभाग /जिला उद्योग केन्द्र/एम.एस.एम.ई. में पंजीयन प्रमाण–पत्र।

6.2.2 गत वर्ष की वार्षिक रिटर्न

6.2.3 फर्म द्वारा एकत्र किये जाने वाले प्रयुक्त कुकिंग तेल को बायोडीजल उत्पादन हेतु प्रयोग करने सम्बन्धी शपथ पत्र

6.2.4 प्रयुक्त कुकिंग तेल इकट्ठा करने वाली फर्म द्वारा बायोडीजल उत्पादक के साथ किये गये करार (अनुबंध)

6.2.5 बायोडीजल उत्पादक फर्म द्वारा इसके लिये प्रयुक्त कुकिंग तेल एकत्रीकरण करने वाली फर्म को अधिकृत किये जाने के दस्तावेज।

6.2.6 आवेदन शुल्क रु. 500/– का डी.डी. जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायोफ्यूल प्राधिकरण, जयपुर के पक्ष में। यह राशि लौटाने योग्य नहीं होगी

6.3 बायोफ्यूल प्राधिकरण द्वारा राज्य में प्रयुक्त कुकिंग तेल इकट्ठा करने वाली ऐजेन्सियों की डायरेक्ट्री/रिकार्ड रखा जायेगा।

6.4 प्रयुक्त कुकिंग तेल एकत्र करने वाली ऐजेन्सी एक से अधिक बायोडीजल उत्पादको के साथ अनुबंध कर सकती है।

6.5 बायोडीजल उत्पादक द्वारा एकत्रित प्रयुक्त कुकिंग तेल से तैयार किये गये बायोडिजल के सम्बन्ध में त्रैमासिक आधार पर निम्न रिकार्ड प्रस्तुत करना होगा।

6.5.1 एकत्रित प्रयुक्त कुकिंग तेल की दिनांकवार मात्रा

6.5.2 खाद्य उद्योगो/केन्द्रो का विवरण जहाँ से प्रयुक्त कुकिंग तेल एकत्र किया गया।

6.5.3 प्रयुक्त कुकिंग तेल से उत्पादित बायोडीजल की मात्रा

6.5.4 प्रयुक्त कुकिंग तेल एकत्र. करने वाली फर्म का नाम

6.6 प्रयुक्त कुकिंग तेल एकत्र करने वाली फर्म द्वारा एकत्रित प्रयुक्त कुकिंग तेल के सम्बन्ध में त्रैमासिक आधार पर निम्न रिकार्ड प्रस्तुत करना होगा।

6.6.1 एकत्रित प्रयुक्त कुकिंग तेल की दिनांकवार मात्रा

6.6.2 खाद्य उद्योगो/केन्द्रो का विवरण जहाँ से प्रयुक्त कुकिंग तेल एकत्र किया गया।

6.6.3 प्रयुक्त कुकिंग तेल कि बायोडिजल उत्पादक को दी गई मात्रा

6.7 आवेदन करने वाली फर्म/ बायोडीजल उत्पादक द्वारा प्रयुक्त कुकिंग तेल एकत्र करने हेतु आवश्यक वाहन स्टोरेज सुविधा एवं प्रक्रिया के सम्बन्ध में प्रतिवेदन (DPR) प्रस्तुत की जावेगी।

6.8 प्रयुक्त कुकिंग तेल को बायोडीजल उत्पादन के अतिरिक्त अन्यत्र खाद्य श्रृंखला में उपयोग किया जाना पाये जाने पर पंजीकरण तत्काल निरस्त किया जावेगा। इस सम्बन्ध में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु सूचित किया जायेगा।

भाग – 7

विविध

7.1. नियमों में निर्वचनः– जब कभी इन नियमों के किसी नियम को लागू करने या उसके निर्वचन में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो उसका विनिश्चय बायोफ्यूल प्राधिकरण ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा किया जायेगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।

7.2. निरसन एवं व्यावृत्तियांः–

1. इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले मामलों के सम्बन्ध में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी समस्त अधिसूचनाएं, परिपत्र, आदेश इन नियमों के प्रारम्भ होने की तारीख से अतिष्ठित समझे जायेंगे।

2. निरसित नियमों के अधीन की गयी कोई भी कार्यवाही या जारी किया गया कोई भी आदेश इन नियमों के अधीन किया गया या जारी किया गया समझा जायेगा।

7.3. राजस्थान सरकार द्वारा समय–समय पर जारी राजस्थान बायोफ्यूल नीति/सम्बन्धित समस्त गजट/आदेश/ अधिसूचनाऐं/ प्रारूप/ नियम इत्यादि राजस्थान जैव ईंधन नियम, 2019 का भाग होगी।

7.4. भारत सरकार द्वारा जारी नवीनतम राष्ट्रीय जैव ईधन नीति–2018 एवं समय–समय पर जारी/सम्बन्धित समस्त गजट/आदेश/अधिसूचनाऐं/प्रारूप/नियम इत्यादि राजस्थान जैव ईंधन नियम, 2019 का भाग होगी।

(राजेश्वर सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव,
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

प्रपत्र–1

पड़त भूमि पर जैव–ईंधन आधारित वृक्षारोपण करने बाबत आवेदन–पत्र

राजस्थान जैव–ईंधन नियम, 2019 के नियम 2.3 के अन्तर्गत)

सेवा में,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जैव–ईंधन ऑथोरिटी,
राजस्थान, जयपुर।

1. मैं/हम पड़त/परिभ्रांषित वन भूमि पर जैव–ईंधन आधारित वृक्षारोपण ....(जिला/वन मण्डल) क्षेत्र में ग्राम पंचायत/वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति/वन विकास अभिकरण, वन विभाग एवं जिला स्टेयरिंग कमेटी के सहयोग से करने हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तों के अनुसार आवेदन करता/करते हैं।
2. प्रस्तावित परियोजनाः
    1. आवेदक का नामः ....
    2. पूर्ण पताः ....
    3. फोन नं.: .... मोबाइल नं. .... ई.मेल ....
    4. कम्पनी/समिति/राजकीय उपक्रम/स्वयं सहायता समूह के सम्बन्ध में जानकारी ....
5. अधिकृत प्रतिनिधि का नाम एवं पताः ....
6. परियोजना की अनुमानित लागतः ....
7. परियोजना स्थापित करने का स्थानः

   नाम ग्राम/वन खण्ड एवं कम्पार्टमेन्टः

   नाम रेंज ....

   जिला ....

   क्षेत्रफलः ....

   प्रस्तावित क्षेत्र की वर्तमान स्थिति ....

   रोपित की जाने वाले पौधों की प्रजातिवार अनुमानित संख्या ....
8. संलग्न दस्तावेजः

1. भूमि आवंटन पत्र/पट्टा
2. विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन
3. वृक्षारोपण का साईट प्लान
4. पंजीयन प्रमाण पत्र
5. पंजीयक अधिकारी का नाम, पद एवं संस्था का नाम
6. गत तीन वर्षों का वार्षिक टर्न ओवर रिपोर्ट, यदि कोई हो तो,
7. वृक्षारोपण/जैव–ईंधन संबंधी कार्यों के अनुभव का विवरण

स्थान .... आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक ....

प्रपत्र–2

अनुबन्ध

(राजस्थान जैव–ईंधन नियम, 2019 के नियम 2.3 के अन्तर्गत)

यह अनुबन्ध एक पक्षकार के रूप में .... (कम्पनी/सहकारी समिति/ राजकीयउपक्रम/ स्वयं सहायता समूह का नाम) की ओर से .... (अधिकृत प्रतिनिधि का नाम एवं पदनाम) (जिसे इसमें आगे प्रथम पक्ष कहा गया है और इसके अन्तर्गत उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक और विधिक प्रतिनिधि भी हैं जब तक कि विषय या संदर्भ से ऐसे अपवर्जित या उसके विरुद्ध नहीं है), दूसरे पक्षकार के रूप में (ग्राम पंचायत/वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति/वन विकास अभिकरण का नाम) जो कि रजिस्टर्ड सोसाइटी है, की ओर से .... (अध्यक्ष का नाम) (जिसे इसमें आगे द्विवीतीय पक्ष कहा गया है) और तीसरे पक्षकार के रूप में राजस्थान के राज्यपाल की ओर से .... (संबंधित उप वन संरक्षक/ सदस्य–सचिव, जिला स्टेयरिंग कमेटी का नाम एवं पदनाम) (जिन्हें इसमें आगे राज्य सरकार कहा गया है और इसके अन्तर्गत उनके पद–उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी हैं, जब तक कि विषय या संदर्भ से ऐसे अपवर्जित या उसके विरुद्ध नहीं है) के मध्य आज दिनाक .... को किया गया है। यह कि द्विवीतीय पक्ष निम्न वर्णित भूमि, जिस पर राज्य सरकार का पूर्ण स्वामित्व है, पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की गई जैव–ईंधन आधारित वृक्षारोपण योजना के अनुसार वृक्षारोपण, विकास, सुरक्षा एवं प्रबन्ध कार्य करने हेतु सहमत हैं।

भूमि का वर्णन

नाम जिला ....वन मण्डल/उप–खण्ड..............ग्राम पंचायत .... नाका ....

बीट .... वन खण्ड कम्पार्टमेन्ट...

क्षेत्रफल .... सीमांकन .... उत्तर .... पूर्व ....

दक्षिण ....पश्चिम ....

यह कि प्रथम पक्ष उक्त वृक्षारोपण कार्य हेतु व्यय होने वाली समस्त राशि राज्य सरकार को देने हेतु सहमत है। यह कि रतनजोत एवं अन्य समकक्ष अखाद्य तैलीय बनस्पति के पौधे उपरोक्त वर्णित क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली स्थानीय वनस्पति के रूप में विद्यमान है तथा इन प्रजातियों का रोपण उपरोक्त वर्णित क्षेत्र के समग्र वृक्षारोपण परियोजना का भाग है। यह कि उपरोक्त वर्णित क्षेत्र की उपयुक्तता के अनुसार अन्य प्रजातियों के रोपण के साथ रतनजोत एवं अन्य समकक्ष अखाद्य तैलीय पौधों का रोपण भी समग्र वृक्षारोपण परियोजना के अनुसार करवाया जायेगा।

अतः पक्षकारों द्वारा और उनके बीच निम्नलिखित अनुबन्ध किया जाता हैः–

1. रतनजोत एवं अन्य समकक्ष अखाद्य तैलीय पौधों एवं अन्य प्रजातियों के वृक्षारोपण हेतु प्रथम

पक्ष, राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित मॉडल की दर से सम्पूर्ण राशि अग्रिम रूप से राज्य सरकार को देगा जो कि उपरोक्त राशि को आवश्यकतानुसार द्वितीय पक्ष को उपलब्ध करायेगा। यह राशि प्रथम पक्ष को उपलब्ध करायेगा। यह राशि प्रथम पक्ष को न तो वापस देय होगी और न ही बीजों के क्रय के समय समायोजित की जायेगी।

2. उक्त वृक्षारोपण का कार्य इस अनुबन्ध के हस्ताक्षरित होने के तीन वर्ष की अवधि में किया जाना आवश्यक होगा।

3. राज्य सरकार वृक्षारोपण हेतु उन्नत किस्म के बीज द्वितीय पक्ष को उपलब्ध करायेगी।

4. द्वितीय पक्ष, राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये बीजों से उन्नत किस्म के पौधे तैयार करेगा तथा समस्त वृक्षारोपण राज्य सरकार के तकनीकी मार्गदर्शन में सम्पादित करेगा।

5. वृक्षारोपण तथा समस्त विकास कार्य द्वितीय पक्ष द्वारा स्वयं कराया जायेगा, उक्त कार्य किसी अन्य एजेन्सी/संस्था के माध्यम से नहीं कराया जायेगा।

6. उपरोक्त वर्णित क्षेत्र में रतनजोत/करंज को मनोकल्चर के रूप में नहीं लगाया जायेगा।

7. उक्त भूमि पर वृक्षारोपण के अतिरिक्त कोई गैर वानिकी/गैर कृषि कार्य नहीं करवाया जायेगा।

8. वृक्षारोपण क्रियान्वन, देख–भाल, प्रबन्ध, सुरक्षा एवं विकास की पूर्ण जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।

9. द्वितीय पक्ष उपरोक्त वर्णित क्षेत्र से प्राप्त रतनजोत/करंज के बीजों की पैदावार को बॉयो–फयूल हेतु प्रथम पक्ष को प्रचलित बाजार दर पर उपलब्ध करायेगा तथा प्रथम पक्ष उक्त बीजों को क्रय करने हेतु बाध्य होगा।

10. उपरोक्त वर्णित क्षेत्र से प्राप्त होने वाले बीजों को प्रचलित बाजार दर पर प्रथम पक्ष द्वारा क्रय नहीं करने की स्थिति में द्वितीय पक्ष द्वारा उक्त बीजों का विक्रय अन्य व्यक्तियों को राज्य सरकार के निर्देशानुसार किया जा सकेगा, प्रथम पक्ष किसी मुंआवजे का हकदार नहीं होगा।

11. रतनजोत/करंज के विक्रय से प्राप्त राशि का उपयोग, इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी नीति/दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।

12. प्रथम पक्ष को रतनजोत/करंज के बीजों के अतिरिक्त अन्य कोई उपज प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा।

13. रतनजोत/करंज के बीजों के अतिरिक्त अन्य उपज का निस्तारण राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय–समय पर जारी नीति/दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।

14. भूमि जिस पर वृक्षारोपण किया जा रहा है, पर पूर्ण स्वामित्व राज्य सरकार का रहेगा।

15. अनुबन्ध की अवधि निष्पादन की तिथि से 10 वर्ष तक के लिए होगी, जिसे तीनों पक्षों की

सहमति से एक बार में पांच वर्ष की अवधि के लिए दो बार बढ़ाया जा सकेगा।

16. अनुबंध के सम्बन्ध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में मामला सम्बन्धित मुख्य वन संरक्षक/जिला स्टेयरिंग कमेटी के पास निर्णय हेतु भेजा जायेगा, जिस पर उनका निर्णय अन्तिम होगा।

17. समस्त पक्षों द्वारा केन्द्र/राज्य सरकार तथा बायो–फ्यूल प्राधिकरण द्वारा इस सम्बन्ध में समय–समय पर जारी निर्देशों की पालना की जायेगी।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
(अधिकृत प्रतिनिधि का नाम एवं पदनाम)	(अध्यक्ष का नाम)
प्रथम पक्ष की ओर से	द्विवीतीय पक्ष की ओर से

हस्ताक्षर

(उप वन संरक्षक/सदस्य–सचिव, जिला स्टेयरिंग कमेटी का नाम)

राजस्थान के राज्यपाल की ओर से

गवाह

1.

2.

3.

प्रपत्र–3(अ)

जैव डीजल (बी–100) के विनिर्माताओं के पंजीयन हेतु आवेदन प्रपत्र

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं परियोजना निदेशक बायोफ्यूल प्राधिकरण
पदेन संयुक्त शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग
राजस्थान सरकार, तृतीय तल, योजना भवन,
तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान)।

महोदय,

मै/हम ....(फर्म/कम्पनी/सोसायटी का नाम) की ओर से जैव डीजल के विनिर्माता के रूप में पंजीकरण हेतु राज्य सरकार के राजस्थान जैव ईंधन पंजीकरण नियम – 2019 के अनुसार बायोफ्यूल प्राधिकरण कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूॅ। इस आवेदन के साथ चाही गयी समस्त सूचनाऐं एवं दस्तावेजों को निम्नानुसार संलग्न कर रहा हूॅ।

क्र.स.	बिन्दु	विवरण
अ	कम्पनी/फर्म/सोसायटी का विवरण	
1.	कम्पनी/फर्म/सोसायटी का नाम	
2.	कम्पनी/फर्म/सोसायटी का प्रकार	
3.	रजिस्टर्ड कार्यालय का पूरा पता	
4.	एक्ट/अधिनियम जिसके अन्तर्गत पंजीकृत	
5.	पंजीकरण संख्या/ इन्कारपोरेशन वर्ष	
6.	पंजीकृत फर्म/कम्पनी/सोसायटी का मेमोरेन्डम एवं आर्टिकल ऑफ ऐसोसिएशन	
7.	एकल/भागीदारी फर्म के स्वामित्व/विलेख सम्बन्धी दस्तावेज	
8.	अधिकृत व्यक्ति का विवरण	
	अधिकृत व्यक्ति का नाम	
	फोन/मोबाईल नम्बर	
	ई मेल का पता	
	आधार नम्बर	

ब	वैधानिक पंजीयन विवरण	
9.	जी.एस.टी संख्या	
10.	पैन नम्बर	
11	श्रम विभाग में पंजीयन संख्या	
12.	प्रोविडेन्ट फन्ड पंजीयन संख्या	
13.	ई.एस.आई पंजीयन संख्या	
14.	उद्योग विभाग मे पंजीयन	
15.	एम.एस.एम.ई. में पंजीयन	
16.	आर्थिक एंव सांख्यकी निदेशालय राजस्थान द्वारा जारी बी .आर.नम्बर (उत्पादन संयत्र राजस्थान राज्य मे होने पर)	
स	उत्पादन संयंत्र का विवरण	
17	उत्पादन संयंत्र स्थल का पूरा पता	
18	फोन/मोबाईल नम्बर	
19	स्थापित कुल उत्पादन क्षमता प्रतिदिन	
20	वास्तविक उत्पादन प्रतिदिन	
21	जैव डीजल (बी–100) उत्पादन हेतु प्रयुक्त कच्चे माल का विवरण	
22.	उपलब्ध तकनीक का विवरण	
द	प्राप्त अनुमतियॉं/अनापत्तियॉं/प्रमाण पत्रों का विवरण (प्रति सलग्न करें)	
23	कारखाना एवं बोयलर विभाग से अनुमति	
24	प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से संचालन की अनुमति (सी.टी.ओ)	
25	अग्निशमन विभाग से अनुमति	
26.	जिला प्रशासन द्वारा जारी व्यावसायिक भूमि उपयोग की अनुमति	
27.	पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पेसो) लाइसेन्स	
28.	भारतीय मानक ब्यूरो से प्रमाणित उत्पाद का आई.एस.आई. नम्बर	
29.	बाट माप तौल विभाग द्वारा जारी प्रमाणीकरण	

य	अन्य विवरण	
30	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन	
31	अधिसंरचनाओं का विवरण (भवन, लैब, भण्डारण, शौचालय, पेयजल, इत्यादि)	
32	अन्य सम्बन्धित सूचनाऐं (ऐच्छिक)	

उपरोक्त दी गयी समस्त सूचनाऐं एवं दस्तावेज पूर्ण रूप से सही एवं प्रमाणिक है एंव इस कम्पनी / फर्म / सोसाइटी द्वारा उत्पादित जैव डीजल (बी–100) पूर्ण रूप से स्वदेशी है।

दिनांक :

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
मय नाम पद एवं मोहर

स्थान :

प्रपत्र–3(ब)

जैव डीजल (बी–100) के आपूतिकर्ताओं के पंजीयन हेतु आवेदन प्रपत्र

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं परियोजना निदेशक बायोफ्यूल प्राधिकरण
पदेन संयुक्त शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग
राजस्थान सरकार, तृतीय तल, योजना भवन,
तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान)।

महोदय,

मै/हम ....(फर्म/कम्पनी/सोसायटी का नाम) की ओर से जैव डीजल के आपूतिकर्ता के रूप में पंजीकरण हेतु राज्य सरकार के राजस्थान जैव ईधन पंजीकरण नियम – 2019 के अनुसार बायोफ्यूल प्राधिकरण कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस आवेदन के साथ चाही गयी समस्त सूचनाऐं एवं दस्तावेजों को निम्नानुसार संलग्न कर रहा हूँ।

क्र.स.	बिन्दु	विवरण
अ	कम्पनी/फर्म/सोसायटी का विवरण	
1.	कम्पनी/फर्म/सोसायटी का नाम	
2.	कम्पनी/फर्म/सोसायटी का प्रकार	
3.	रजिस्टर्ड कार्यालय का पूरा पता	
4.	एक्ट/अधिनियम जिसके अन्तर्गत पंजीकृत	
5.	पंजीकरण संख्या/ इन्कारपोरेशन वर्ष	
6.	पंजीकृत फर्म/कम्पनी/सोसायटी का मेमोरेन्डम एवं आर्टिकल ऑफ ऐसोसिएशन	
7.	एकल/भागीदारी फर्म के स्वामित्व/विलेख सम्बन्धी दस्तावेज	
8.	अधिकृत व्यक्ति का विवरण	
i	अधिकृत व्यक्ति का नाम	
ii	फोन/मोबाईल नम्बर	
iii	ई मेल का पता	
iv	आधार नम्बर	
ब	वैधानिक पंजीयन विवरण	
9.	जी.एस.टी संख्या	

10.	पैन नम्बर	
11.	एम.एस.एम.ई. में पंजीयन	
12	आर्थिक एंव सांख्यकी निदेशालय राजस्थान द्वारा जारी बी.आर.नम्बर	
13	विनिर्माता का बायोफ्यूल प्राधिकरण द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र	
14	दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम में पंजीयन	
स	भण्डारण स्थल/क्षमता का विवरण	
15	भण्डारण स्थल हेतु प्रयोग में ली जाने वाली व्यावसायिक भूमि का नाप (मीटर में)	
16	भण्डारण स्थल का पूरा पता	
17	फोन/मोबाईल नम्बर	
18	स्थापित कुल भण्डारण क्षमता	
द	प्राप्त अनुमतियॉ/अनापत्तियॉ/प्रमाण पत्रों का विवरण (प्रति सलग्न करें)	
19	विनिर्माता एवं आपूर्तिकर्ता के मध्य करार की प्रति	
20	विनिर्माता द्वारा जारी आशय पत्र (एल . ओ.आई.)	
21	अग्निशमन विभाग से अनुमति	
22.	जिला प्रशासन द्वारा जारी व्यावसायिक भूमि उपयोग का प्रमाण पत्र की अनुमति	
23	बाट माप तौल विभाग द्वारा जारी प्रमाणीकरण	
24	राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा जारी अनापत्ति	
य	अन्य विवरण	
25	अधिसंरचनाओं का विवरण (भवन, भण्डारण, शौचालय, पेयजल, इत्यादि)	
26	अन्य सम्बन्धित सूचनाऐं (ऐच्छिक)	

उपरोक्त दी गयी समस्त सूचनाऐं एवं दस्तावेज पूर्ण रूप से सही एवं प्रमाणिक है एंव यह कम्पनी/फर्म/सोसायटी किसी भी अन्य जैव डीजल विनिमार्ता से संबद्वनही है।

दिनांक :

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर स्थान :
मय नाम पद एवं मोहर

प्रपत्र–3(स)

जैव डीजल (बी–100) के विक्रेताओं (Retail Outlet) के पंजीयन हेतु आवेदन प्रपत्र

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं परियोजना निदेशक बायोफ्यूल प्राधिकरण
पदेन संयुक्त शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग
राजस्थान सरकार, तृतीय तल, योजना भवन,
तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान)।

महोदय,

मै/हम ....(फर्म/कम्पनी/सोसायटी का नाम) की ओर से जैव डीजल के विक्रेता (Retail Outlet) के रूप में पंजीकरण हेतु राज्य सरकार के राजस्थान जैव ईधन पंजीकरण नियम – 2019 के अनुसार बायोफ्यूल प्राधिकरण कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस आवेदन के साथ चाही गयी समस्त सूचनाऐं एवं दस्तावेजों को निम्नानुसार संलग्न कर रहा हूँ।

क्र.स.	बिन्दु	विवरण
अ	कम्पनी/फर्म/सोसायटी का विवरण	
1.	कम्पनी/फर्म/सोसायटी का नाम	
2.	कम्पनी/फर्म/सोसायटी का प्रकार	
3.	रजिस्टर्ड कार्यालय का पूरा पता	
4.	एक्ट/अधिनियम जिसके अन्तर्गत पंजीकृत	
5.	पंजीकरण संख्या/ इन्कारपोरेशन वर्ष	
6.	पंजीकृत फर्म/कम्पनी/सोसायटी का मेमोरेन्डम एवं आर्टिकल ऑफ ऐसोसिएशन	
7.	एकल/भागीदारी फर्म के स्वामित्व/विलेख सम्बन्धी दस्तावेज	
8.	अधिकृत व्यक्ति का विवरण	
i	अधिकृत व्यक्ति का नाम	
ii	फोन/मोबाईल नम्बर	
iii	ई मेल का पता	
iv	आधार नम्बर	
ब	वैधानिक पंजीयन विवरण	
9.	जी.एस.टी संख्या	
10.	पैन नम्बर	
11.	एम.एस.एम.ई. में पंजीयन	
12	आर्थिक एंव सांख्यकी निदेशालय राजस्थान द्वारा जारी बी.आर.नम्बर	

13	विनिर्माता / आपूर्तिकर्ता का बायोफ्यूल प्राधिकरण द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र	
14	दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम में पंजीयन	
स	विक्रय स्थल / क्षमता का विवरण	
15	विक्रय स्थल हेतु प्रयोग में ली जाने वाली व्यावसायिक भूमि का नाप (मीटर में)	
16	विक्रय स्थल का पूरा पता	
17	फोन / मोबाईल नम्बर	
18	स्थापित कुल भण्डारण क्षमता	
19	श्रेणी "बी" पेट्रोलियम उत्पादों के लिए लागू मात्रा और सुरक्षा दूरी संबंधी मानदंड	
द	प्राप्त अनुमतियॉं / अनापत्तियॉं / प्रमाण पत्रों का विवरण (प्रति सलग्न करें)	
20	विनिर्माता एवं आपूर्तिकर्ता के मध्य करार की प्रति	
21	विनिर्माता / आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी आशय पत्र (एल.ओ.आई.)	
22	अग्निशमन विभाग से अनुमति	
23	जिला कलेक्टर / सम्बधित आयुक्त / अधिकारी द्वारा जैव डीजल खुदरा बिक्री	
24	जिला प्रशासन द्वारा जारी व्याव सायिक भूमि उपयोग का प्रमाण पत्र की अनुमति	
25	बाट माप तौल विभाग द्वारा जारी प्रमाणीकरण	
26	राष्ट्रीय / राज्य राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा जारी अनापत्ति	
य	अन्य विवरण	
27	अधिसंरचनाओं का विवरण (भवन, भण्डारण, शौचालय, पेयजल, इत्यादि)	
28	अन्य सम्बन्धित सूचनाऐं (ऐच्छिक)	

उपरोक्त दी गयी समस्त सूचनाऐं एवं दस्तावेज पूर्ण रूप से सही एवं प्रमाणिक है एंव यह कम्पनी / फर्म / सोसायटी किसी भी अन्य जैव डीजल विनिमार्ता / आपूर्तिकर्ता से संबद्वनही है।

दिनांक :

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर स्थान :
मय नाम पद एवं मोहर

प्रपत्र–3(द)

जैव डीजल (बी–100) के चल विक्रेताओं (Mobile Retail Outlet) के पंजीयन हेतु आवेदन प्रपत्र

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं परियोजना निदेशक बायोफ्यूल प्राधिकरण
पदेन संयुक्त शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग
राजस्थान सरकार, तृतीय तल, योजना भवन,
तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान)।

महोदय,

मै/हम ....(फर्म/कम्पनी/सोसायटी का नाम) की ओर से जैव डीजल के चल विक्रेता (Mobile Retail Outlet) के रूप में पंजीकरण हेतु राज्य सरकार के राजस्थान जैव ईंधन पंजीकरण नियम – 2019 के अनुसार बायोफ्यूल प्राधिकरण कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूॅ। इस आवेदन के साथ चाही गयी समस्त सूचनाऐं एवं दस्तावेजों को निम्नानुसार संलग्न कर रहा हूॅ।

क्र.स.	बिन्दु	विवरण
अ	कम्पनी/फर्म/सोसायटी का विवरण	
1.	कम्पनी/फर्म/सोसायटी का नाम	
2.	कम्पनी/फर्म/सोसायटी का प्रकार	
3.	रजिस्टर्ड कार्यालय का पूरा पता	
4.	एक्ट/अधिनियम जिसके अन्तर्गत पंजीकृत	
5.	पंजीकरण संख्या/ इन्कारपोरेशन वर्ष	
6.	पंजीकृत फर्म/कम्पनी/सोसायटी का मेमोरेन्डम एवं आर्टिकल ऑफ ऐसोसिएशन	
7.	एकल/भागीदारी फर्म के स्वामित्व/ विलेख सम्बन्धी दस्तावेज	
8.	अधिकृत व्यक्ति का विवरण	
i	अधिकृत व्यक्ति का नाम	
ii	फोन/मोबाईल नम्बर	
iii	ई मेल का पता	
iv	आधार नम्बर	
ब	वैधानिक पंजीयन विवरण	
9.	जी.एस.टी संख्या	
10.	पैन नम्बर	

11.	एम.एस.एम.ई. में पंजीयन	
12	आर्थिक एंव सांख्यकी निदेशालय राजस्थान द्वारा जारी बी.आर.नम्बर	
13	विनिर्माता/आपूर्तिकर्ता का बायोफ्यूल प्राधिकरण द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र	
14	दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम में पंजीयन	
15	व्यावसायिक वाहन पंजीयन नम्बर	
स	विक्रय स्थल/ भण्डारण क्षमता का विवरण	
16	भण्डारण क्षमता (अधिकतम 2 किलो लीटर.)	
द	प्राप्त अनुमतियॉ/अनापत्तियॉ/प्रमाण पत्रों का विवरण (प्रति सलग्न करें)	
17	विनिर्माता एवं आपूर्तिकर्ता के मध्य करार की प्रति	
18	विनिर्माता/आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी आशय पत्र (एल.ओ.आई.)	
19	अग्निशमन विभाग से अनुमति	
20	बाट माप तौल विभाग द्वारा जारी प्रमाणीकरण	
य	अन्य विवरण	
21	अधिसंरचनाओं का विवरण (वाहन भण्डारण, ए .टी.जी., जी .पी.एस., इत्यादि)	
22	अन्य सम्बन्धित सूचनाऐं (ऐच्छिक)	

उपरोक्त दी गयी समस्त सूचनाऐं एवं दस्तावेज पूर्ण रूप से सही एवं प्रमाणिक है एंव यह कम्पनी/फर्म/सोसायटी किसी भी अन्य जैव डीजल विनिमार्ता/आपूर्तिकर्ता से संबद्वनही है।

दिनांक :

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर स्थान :
मय नाम पद एवं मोहर

प्रपत्र –4

आवेदन–प्राप्ति रसीद

(राजस्थान जैव–ईंधन नियम, 2019 के नियम 5 के अन्तर्गत)

मेसर्स ....पता ....से जैव–ईंधन विनिमार्ता / आपूर्तिकर्ता / विक्रेता / चल विक्रेता/प्रयुक्त कुकिंग तेल कलेक्शन एजेन्सी के राज्य में पंजीयन हेतु निर्धारित आवेदन प्रपत्र शुल्क रु............................ का डी.डी. / रसीद संख्या .... दिनांक .... सहित आवेदन पत्र प्राप्त हुआ।

दिनांक :

अधिकृत हस्ताक्षरी मय
कार्यालय सील

BIOFUEL PLANTATION Programme IN RAJASTHAN

12 DISTRICTS (JATROPHA)

- Banswara
- Baran
- Bhilwara
- Bundi
- Chittorgarh
- Dungarpur
- Jhalawar
- Kota
- Pratapgarh
- Rajsamand
- Sirohi
- Udaipur

8 DISTRICTS (KARANJ)

- Alwar
- Bharatpur
- Dausa
- Dholpur
- Jaipur
- Karauli
- Sawai Madhopur
- Tonk

BIO DIESEL BLENDING
Programme
IN RAJASTHAN

स्वच्छ एवं हरित ईंधन द्वारा बेहतर पर्यावरण का सृजन

बायोफ्यूल प्राधिकरण

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

तृतीय तल, योजना भवन, तिलक मर्ग, जयपुर (राज.) फोन : 0141-2224754-55

ई-मेल : biofuelraj@yahoo.co.in • वेबसाईट : biofuel.rajasthan.gov.in